भारत के राजपत्र असाधारण भाग-I खंड-I में प्रकाशनार्थ

फाइल संख्या 06/20/2023-डीजीटीआर

भारत सरकार

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

वाणिज्य विभाग

व्यापार उपचार महानिदेशालय

चौथा तल, जीवन तारा बिल्डिंग,

5 संसद मार्ग, नई दिल्ली - 110001

दिनांक : 1 मई, 2024

अधिसूचना

प्रारंभिक जांच परिणाम

विषय: चीन जन. गण. और जापान के मूल के अथवा वहां से निर्यातित "ट्राइक्लोरो आसोसाइन्यूरिक एसिड" के आयातों के संबंध में पाटनरोधी जांच।

क. मामले की पृष्ठभूमि

समय-समय पर यथासंशोधित सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (इसके बाद इसे "अधिनियम" के रूप में कहा गया है) और समय-समय पर यथासंशोधित तत्संबंधी सीमा शुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं पर पाटनरोधी शुल्क की पहचान, आकलन और संग्रहण तथा क्षति का निर्धारण) नियमावली, 1995 (इसके बाद इसे "पाटनरोधी नियमावली" अथवा "नियमावली" के रूप में कहा गया है) को ध्यान में रखते हुए,

1. जबकि, बोडल कैमिकल्स लिमिटेड (इसके बाद इसे "आवेदक" अथवा "घरेलू उद्योग" के रूप में कहा गया है) ने चीन और जापान (इसके बाद इन्हें "संबद्ध देश" के रूप में भी कहा गया है) के मूल के अथवा वहां से निर्यातित ट्राइक्लोरो आइसोसाइन्यूरिक एसिड (इसके बाद इसे "विचाराधीन उत्पाद" अथवा "संबद्ध वस्तुएं" अथवा "टीसीसीए" के रूप में भी कहा गया है) के आयातों के संबंध में एक पाटनरोधी जांच शुरू करने के लिए सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 और पाटनरोधी नियमावली के अनुसार निर्दिष्ट प्राधिकारी के समक्ष एक आवेदन दायर किया।

2. और जबकि, आवेदक द्वारा दायर किए गए विधिवत प्रमाणित आवेदन को देखते हुए प्राधिकारी ने संबद्ध वस्तुओं के किसी कथित पाटन की मौजूदगी, मात्रा और प्रभाव का निर्धारण करने के लिए और पाटनरोधी शुल्क की ऐसी मात्रा की सिफारिश करने के लिए, जिसे यदि लगाया जाता है, तो घरेलू उद्योग की कथित क्षति को दूर करने के लिए पर्याप्त होगी, पाटनरोधी नियमावली के नियम 5 के अनुसार, चीन जन. गण. और जापान से विचाराधीन उत्पाद के आयातों के संबंध में एक पाटनरोधी जांच शुरू करते हुए दिनांक 30 सितंबर, 2023 की अधिसूचना सं. 6/20/2023-डीजीटीआर के तहत भारत के राजपत्र में प्रकाशित एक सार्वजनिक सूचना जारी की।

ख. <u>प्रक्रिया</u>

3. जांच के संबंध में नीचे दी गई प्रक्रिया का अनुसरण किया गया है :

क. प्राधिकारी ने उपरोक्त नियम 5 के उप नियम (5) के अनुसार जांच पर आगे कार्यवाही शुरू करने से पूर्व वर्तमान पाटनरोधी आवेदन प्राप्त होने के संबंध में भारत में संबद्ध देशों के दूतावासों को अधिसूचित किया।

ख. प्राधिकारी ने संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तुओं के आयात के संबंध में एक पाटनरोधी जांच शुरू करते हुए भारत में राजपत्र, असाधारण में प्रकाशित दिनांक 30 सितंबर, 2023 की एक सार्वजनिक सूचना जारी की।

ग. प्राधिकारी ने भारत में उनके दूतावासों के माध्यम से संबद्ध देशों की सरकारों, संबद्ध देशों से ज्ञात उत्पादकों और निर्यातकों, ज्ञात आयातकों/ प्रयोक्ताओं और आवेदक द्वारा उपलब्ध कराए गए पतों के अनुसार घरेलू और अन्य हितबद्ध पक्षकारों को जांच शुरुआत अधिसूचना की एक प्रति भेजी और उन्हें निर्धारित समय-सीमा के भीतर लिखित में अपने विचारों से अवगत कराने का अनुरोध किया।

घ. प्राधिकारी ने ज्ञात उत्पादकों/ निर्यातकों और भारत में संबद्ध देशों के दूतावासों के माध्यम से उनकी सरकारों को पाटनरोधी नियमावली के नियम 6(3) के अनुसार आवेदन के अगोपनीय पाठ की एक प्रति आवश्यकता के अनुसार अन्य हितबद्ध पक्षकारों को प्रदान की थी।

ड. प्राधिकारी ने संबद्ध देश से ज्ञात उत्पादकों/ निर्यातकों, भारत में ज्ञात आयताकों/ प्रयोक्ताओं को तथा आवेदक द्वारा उपलब्ध कराए गए पतों के अनुसार अन्य भारतीय उत्पादकों और घरेलू उद्योग को, जांच शुरू करने की अधिसूचना के 30 दिनों के भीतर लिखित में उनके विचारों से अवगत कराने के लिए अनुरोध किया। प्राधिकारी ने नियमावली के नियम 6(4) के अनुसार, संगत सूचना प्रकट करने के लिए निम्नलिखित ज्ञात उत्पादकों/ निर्यातकों को निर्यातक प्रश्नावली भेजी :

i. केमी इंडस्ट्रियल कं. लिमि.

ii. हेबई जिहेंग केमिकल कं. लिमि.

iii. शेडोंग लांटियन डिसइंफैक्शन टेक्नोलॉजी

iv. जुचेंग ताइशेंग केमिकल कं. लिमि.

v. निस्सेई कॉर्पोरेशन

vi. किंगदाओ चेंगकांग केमिकल कंपनी

vii. एगुआटेक इंडस्ट्रियल कंपनी लिमिटेड

viii. रोंडा इंडस्ट्रियल कंपनी लिमिटेड

ix. रिझाओ हाओमियाओ बायोटेक्नोलॉजी कं. लिमि.

x. हेनान सिनोविन केमिकल इंडस्ट्री कं. लिमि.

च. भारत में संबद्ध देशों के दूतावासों को उनके देश से निर्यातकों/ उत्पादकों को परामर्श देने का अनुरोध किया गया था ताकि निर्धारित समय-सीमा के भीतर प्रश्नावली का उत्तर दिया जाए।

छ. संबद्ध जांच शुरू होने की अधिसूचना के उत्तर में संबद्ध देशों से निम्नलिखित उत्पादकों/ निर्यातकों ने एक प्रश्नावली उत्तर दाखिल करके उत्तर दिया है :

a. शेडोंग डेमिंग साइंस एंड टेक्नोलॉजी कंपनी लिमिटेड
b. किंगदाओ प्रोफेलिज बायोलॉजकल टेक्नोलॉजी कं. लिमि.
c. हांगकांग सीयन इंटरनेशनल लिमिटेड
d. शेडोंग लांटियन डिस्इंफैक्शन टेक्नोलॉजी कं. लिमि.

e. पुयांगक्लीनवे केमिकल्स लिमि.

f. शेडोंग गोल्डनस्टार वाटर एन्वायरमैंट टेक्नोलॉजी कं. लिमि.

g. हेबेई जिंगफेई केमिकल कंपनी लिमिटेड

h. नेस्सेई कार्पोरेशन

ज. प्राधिकारी ने नियमावली के नियम 6(4) के अनुसार, आवश्यक सूचना की मांग करके भारत में संबद्ध वस्तुओं के निम्नलिखित ज्ञात आयातकों/ प्रयोक्ताओं को आयातक की प्रश्नावली भेजी :

i. गणेश केम इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड

ii. एक्यूरो ऑर्गेनिक्स लिमिटेड

iii. केशव हिचेम प्राइवेट लिमिटेड

iv. पारी केम रिसोर्सेज एलएलपी

v. पद्मा पॉलिमर

vi. केमॉक्स कॉर्पोरेशन

vii. फीनिक्स ओवरसीज लिमिटेड

viii. क्लासिक कैमिकल्स

ix. पवार केमिकल्स

x. पी आर ऑटोमोटिव टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड

xi. भारत ज्योति इम्पेक्स

xii. श्री केमिकल्स इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड

झ. जांच शुरुआत अधिसूचना और आवेदन के अगोपनीय पाठ की एक प्रति निम्नलिखित एसोसिएशनों को भेजी गई :

i. एफआईईओ

ii. एफआईसीओ

iii. एसोचेम

iv. सीआईआई

ञ. जांच शुरू होने की अधिसूचना तथा आवेदन के अगोपनीय पाठ की एक प्रति दिनांक 6 अक्तूबर, 2023 को निम्नलिखित मंत्रालयों को भेजी गई थी, तथापि, प्राधिकारी को कोई टिप्पणी प्राप्त नहीं हुई है :

1. रसायन और पेट्रोरसायन विभाग, रसायन और उर्वरक मंत्रालय

2. वस्त्र मंत्रालय

3. उपभोक्ता मामले मंत्रालय

ट. संबद्ध जांच शुरू होने की अधिसूचना के उत्तर में, संबद्ध देशों से निम्नलिखित आयातकों/ प्रयोक्ताओं ने एक प्रश्नावली उत्तर दाखिल करके उत्तर दिया है :

i. निसान एग्रो टेक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड

ii. केशव बायोकेम प्राइवेट लिमिटेड

ठ. प्राधिकारी ने विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोधों का अगोपनीय पाठ उपलब्ध कराया। सभी हितबद्ध पक्षकारों की एक सूची डीजीटीआर की वेबसाइट पर अपलोड की गई थी, जिसके साथ ही सभी अन्य हितबद्ध पक्षकारों को उनके अनुरोधों का अगोपनीय पाठ ईमेल करने का अनुरोध किया गया था।

ड. क्षति अवधि और साथ ही जांच की अवधि के लिए संबद्ध वस्तुओं के आयातों के सौदा-वार ब्यौरे प्रदान करने के लिए डीजी सिस्टम को अनुरोध किया गया था। प्राधिकारी ने सौदों की विधिवत जांच करने के बाद आयातों की मात्रा की गणना तथा अपेक्षित विश्लेषण के लिए डीजीएस के डेटा पर भरोसा किया है।

ढ. सामान्यतः स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों (जीएएपी) और नियमावली के अनुबंध III के आधार पर घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत सूचना के आधार पर भारत में संबद्ध वस्तुओं के उत्पादन की लागत और उन्हें बनाने व बेचने की लागत के आधार पर क्षतिरहित कीमत (एनआईपी) की गणना की गणना की गई है ताकि यह पता

लगाया जा सके कि क्या पाटन मार्जिन से कमतर पाटनरोधी शुल्क घरेलू उद्योग की क्षति को दूर करने के लिए पर्याप्त होगा।

ण. वर्तमान जांच के प्रयोजन के लिए जांच की अवधि (पीओआई) 1 अप्रैल, 2022 से 31 मार्च, 2023 (12 माह) की है। क्षति विश्लेषण के संदर्भ में प्रवृत्तियों की जांच में 2019-20, 2020-21, 2021-22 और जांच की अवधि शामिल है।

त. हितबद्ध पक्षकारों द्वारा इस जांच के दौरान किए गए अनुरोध, जो साक्ष्य के साथ किए गए थे और वर्तमान जांच के लिए संगत पाए गए, उन पर इन प्रारंभिक जांच परिणामों में समुचित रूप से विचार किया गया है।

थ. गोपनीय आधार पर हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रदान की गई सूचना के गोपनीय के दावे की पर्याप्तता के संबंध में जांच की गई थी। संतुष्ट होने पर, प्राधिकारी ने आवश्यकता के अनुसार, गोपनीयता के दावे को स्वीकार किया है और ऐसी सूचना को गोपनीय माना गया है तथा अन्य हितबद्ध पक्षकारों को प्रकट नहीं किया है। जहां कहीं भी संभव हो, गोपनीय आधार पर सूचना प्रदान करने वाले पक्षकारों के, गोपनीय आधार पर दाखिल की गई सूचना का पर्याप्त अगोपनीय पाठ प्रदान करने का निदेश दिया गया था।

द. जहां कहीं भी किसी हितबद्ध पक्षकार ने सूचना सुलभ कराने से इंकार किया है अथवा वर्तमान जांच की अवधि के दौरान आवश्यक सूचना अन्यथा प्रदान नहीं की है अथवा जांच को पर्याप्त रूप से छिपाया है, तो प्राधिकारी ने ऐसे पक्षकारों को असहयोगी माना है और उपलब्ध तथ्यों के आधार पर विचारों/ टिप्पणियों को दर्ज किया है।

ध. दिनांक 9 नवंबर, 2023 को, प्राधिकारी ने वर्चुअल बैठक आयोजित की है, जहां सभी हितबद्ध पक्षकारों को विचाराधीन उत्पाद के दायरे और पीसीएन पद्धति पर अपनी टिप्पणियां देने के लिए आमंत्रित किया गया था।

न. प्राधिकारी ने उठाए गए सभी तर्कों और इस अवस्था में सभी हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रदान की गई सूचना पर वर्तमान जांच के लिए साक्ष्य के साथ होने और वर्तमान जांच के लिए संगत पाए गए अनुसार विचार किया है। प्राधिकारी प्रारंभिक जांच परिणामों के बाद हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत किए गए साक्ष्य

संबंधी दस्तावेजों की आगे जांच करेंगे, जो अंतिम जांच परिणामों के समय निष्कर्षों के लिए आधार बनेगा।

प. इस जांच में *** गोपनीय आधर पर एक हितबद्ध पक्षकार द्वारा प्रस्तुत की गई सूचना को दर्शाता है और इस पर नियमावली के तहत प्राधिकारी द्वारा विचार किया गया है।

फ. संबद्ध जांच के लिए प्राधिकारी द्वारा अपनाई गई विनिमय दर 1 यूएस डॉलर = 81.06 रु. है।

ग. <u>विचाराधीन उत्पाद और समान वस्तु</u>

4. जांच शुरुआत की अवस्था में, विचाराधीन उत्पाद को "ट्राईक्लोरो आइसोसाइन्यूरिक एसिड" के रूप में परिभाषित किया गया था, जिसे टीसीसीए के रूप में भी संदर्भित किया गया है।

"3. वर्तमान याचिका में विचाराधीन उत्पाद ("पीयूसी") "ट्राइक्लोरो आइसोस्यान्यूरिक एसिड" है जिसे आगे टीसीसीए भी कहा गया है। टीसीसीए एक रासायनिक यौगिक है जिसे आम तौर पर डिसइंफैक्टेंट, ब्लीचिंग एजेंट और जल उपचार रसायन के रूप में प्रयोग किया जाता है। यह एक सफेद क्रिस्टलीय पाउडर होता है जिसमें तेज क्लोरीन की गंध होती है। टीसीसीए एक शक्तिशाली ऑक्सीकरण एजेंट है और इसे व्यापक रूप से स्विमिंग पूल तथा औद्योगिक जल उपचार और स्वच्छता में प्रयोग किया जाता है"।

टीसीसीए एक डिसइंफैक्टेंट, काई नाशक और बैक्टीरिया नाशक है जिसे मुख्यतः स्वीमिग पूल और डाई स्टफ में प्रयोग किया जाता है। इसे वस्त्र उद्योग में ब्लीचिंग एजेंट के रूप में प्रयोग किया जाता है। इसे पूल और स्पा में सामान्य सफाई, पशुपालन और मछली पालन में रोगों की रोकथाम और उपचार, फल और सब्जी संरक्षण, अपशिष्ट जल उपचार के रूप में व्यापक रूप से, उद्योग में और वातानुकूलन में पुनः चक्रित जल के लिए काई नाशक, ऊनी कपड़ों के लिए सिकुड़नरोधी उपचार, बीजों के उपचार और कार्बनिक रसायन सिंथेटिक में प्रयोग किया जाता है।

विचाराधीन उत्पाद को अध्याय 29 के टैरिफ कोडों 29336910 तथा 29336990 के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है। सीमाशुल्क वर्गीकरण केवल सांकेतिक है और वर्तमान जांच के दायरे पर बाध्यकारी नहीं है।"

ग.1. <u>अन्य हितबद्ध पक्षकारों के विचार</u>

5. अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने उत्पाद टाइप और पैकेजिंग (टेबलेट, ग्रेन्यूलर और पाउडर) के आधार पर विचाराधीन उत्पाद के लिए निम्नलिखित पीसीएन पद्धति का प्रस्ताव किया है:

फील्ड विवरण	फील्ड फार्मेट	मूल्य	स्पष्टीकरण
उत्पाद टाइप	टैक्स्ट	1	पी = पाउडर
			जी = ग्रेन्युलर
			टी = टेबलेट
			ओ = अन्य
यदि टेबलेट, आठ/ टेबलेट	संख्या या टेक्स्ट	1	1 = 200 ग्राम की टेबलेट
			2 = 1-199 ग्राम की टेबलेट
			3 = अन्य टेबलेट
यदि ग्रेन्युलर, मेश/ ग्रेन्युलर			4 = 5-8 मेश
			5 = 8-30 मेश
			6 = अन्य मेश
पाउडर के लिए, पी को इंगित करें			पी = पाउडर
पैकेजिंग	संख्या	2	01 = 1000 कि.ग्रा. का पैकेज
			02 = केवल 25 कि.ग्रा. के छोटे थैले
			03 = 25 कि.ग्रा. के प्लास्टिक ड्रम केन अथवा कोई अन्य सिलेंडर केवल
			04 = 25 कि.ग्रा. के प्लास्टिक ड्रम, केन अथवा किसी अन्य सिलेंडर में 1 कि.ग्रा के थैले
			05 = 25 कि.ग्रा. के प्लास्टिक ड्रम, केन अथवा किसी अन्य सिलेंडर में एक टेबलेट
			06 = 25 कि.ग्रा. के प्लास्टिक ड्रम, केन अथवा किसी अन्य सिलेंडर में एक टेबलेट

			07 = 50 कि.ग्रा. कार्बन/ फाइबर ड्रम, केन अथवा कोई अन्य सिलेंडर
			08 = 50 कि.ग्रा. कार्बन/ फाइबर ड्रम, केन अथवा किसी अन्य सिलेंडर में 1 कि.ग्रा. थैला
			09 = 50 कि.ग्रा. कार्बन/ फाइबर ड्रम, केन अथवा किसी अन्य सिलेंडर में एक टेबलेट
			10= 50 कि.ग्रा. कार्बन/ फाइबर ड्रम, केन अथवा किसी अन्य सिलेंडर में 1 कि.ग्रा. ट्यूब
			11 = 50 कि.ग्रा. प्लास्टिक ड्रम, केन अथवा किसी अन्य सिलेंडर में
			12 = 50 कि.ग्रा. के प्लास्टिक ड्रम, केन अथवा किसी अन्य सिलेंडर में 1 कि.ग्रा. का थैला
			13 = 50 कि.ग्रा में प्लास्टिक ड्रम, केन अथवा किसी अन्य विश्लेषण में 1 कि.ग्रा. ट्यूब
			14 = 50 कि.ग्रा. के प्लास्टिक/ड्रम, केन अथवा किसी अन्य सिलेंडर में 1 कि.ग्रा. ट्यूब
			15 = अन्य

ग.2. <u>घरेलू उद्योग के विचार</u>

6. विचाराधीन उत्पाद और समान वस्तु के संबंध में घरेलू उद्योग के अनुरोध इस प्रकार हैं:

i. पाउडर, ग्रेन्युलर और टेबलेट के लिए एक पीसीएन बनाने की आवश्यकता नहीं है।

ii. टेबलेट और ग्रेन्युलर के बीच कोई सतत अंतर नहीं है।

iii. पाउडर बनाने के बाद ग्रेन्युल और टेबलेट की लागत में कोई बड़ा अंतर नहीं है।

iv. ग्रेन्युल के निर्माण के समय मेश साइज प्राप्त किया जाता है और विभिन्न मेश साइज के लिए पाउडर से ग्रेन्युल बनाने की लागत में अंतर में बड़ा अंतर नहीं होता।

v. दाने (ग्रेनुलेशन) की अवस्था में कोई कच्ची सामग्री शामिल नहीं की जाती और इसमें आई लागत केवल बिजली और मजदूरी प्रभारों की है।

vi. उत्पादन की लागत का निर्धारण पैकिंग लागत को निकालकर किया जाना चाहिए और कीमत समायोजन को प्राधिकारी की विगत जांचों, डीजीटीआर द्वारा जारी की गई निर्यातक प्रश्नावली तथा यूएसए, यूरोपीय संघ, आस्ट्रेलिया और तर्की जैसे विभिन्न क्षेत्राधिकारों द्वारा जारी की गई निर्यातक प्रश्नावली के अनुसार पैकिंग के लिए स्वीकार किया जाना चाहिए, जहां पर पैकिंग को कीमत अंतर के लिए समायोजन को एक मद के रूप में माना गया है।

ग.3. <u>प्राधिकारी द्वारा जांच</u>

7. प्राधिकारी ने विचाराधीन उत्पाद और पीसीएन के दायरे के संबंध में अपने अनुरोध दाखिल करने के लिए सभी हितबद्ध पक्षकारों को एक अवसर प्रदान किया था। इसके अतिरिक्त, हितबद्ध पक्षकारों को उनकी प्रस्तावित पीसीएन पद्धति में सुझाव दिए गए अनुसार भिन्न मापदंडों और मूल्यों के लिए लागत और बिक्री कीमत के अंतर का ब्यौरा प्रदान करने के लिए कहा गया था।

8. चीन जन. गण. से "किनदाओ प्रोफोलिज बायलॉजिकल टेक्नोलोजी कं. लि.", "शानडोंग लांटियन डिसइंफेक्शन टेक्नोलॉजी कं. लिमि.", और "हांगकांग सीयन इंटरनेशनल लिमिटेड" द्वारा टिप्पणियां दाखिल की गई थीं और उक्त उत्पादों/ निर्यातकों ने विचाराधीन उत्पाद के लिए कतिपय पीसीएन का प्रस्ताव किया। तथापि, उत्पादकों/ निर्यातकों ने प्रस्तावित विभिन्न पीसीएन के बीच लागत और कीमत संबंध अंतर होने का उचित स्पष्टीकरण प्रदान नहीं किया।

9. घरेलू उद्योग से उत्पादकों/ निर्यातकों द्वारा प्रस्तावित पीसीएन में लागत और कीमत के संबंध में अंतर पर अपनी टिप्पणियां देने के लिए भी कहा गया था। घरेलू उद्योग के उत्तर के अनुसार, विभिन्न मेश आकारों के लिए पाउडर से ग्रेन्युल की लागत में अंतर में वास्तविक अंतर नहीं है। चूंकि ग्रेन्युल की अवस्था में कोई कच्ची सामग्री नहीं मिलाई जाती, केवल विद्युत और मजदूरी के प्रभारों पर ही खर्च होता है। घरेलू उद्योग ने यह भी अनुरोध किया कि आयात संबंधी डेटा के अनुसार, संबद्ध वस्तुएं केवल ग्रेन्युलर और टेबलेट के रूप में ही आयात की जाती हैं और यह कि कीमतों के बीच कोई तर्कसंगत अंतर नहीं होता। टेबलेट का आयात कई माह में ग्रेन्युलर से नीचे की कीमत पर और

कई माह में ग्रेन्युलर से अधिक कीमत पर किया गया है। विभिन्न मेश साइज के बीच कोई लागत संबंधी अंतर नहीं है। इस प्रकार, विभिन्न मेश साइज की लागत में अंतर, भिन्न पीसीएन के निर्माण के लिए काफी अपर्याप्त है।

10. हितबद्ध पक्षकारों द्वारा आपूर्ति की गई सूचना के आधार पर, प्राधिकारी ने यह निष्कर्ष दिया कि विभिन्न उत्पाद रूपों के बीच महत्वपूर्ण लागत/ कीमत संबंधी अंतर सुझाने के लिए कोई साक्ष्य नहीं हैं। इसके अलावा, यह नोट किया जाता है कि पैकिंग लागत में अंतर पीसीएन के घटक के रूप में मानने की आवश्यकता नहीं है। हितबद्ध पक्षकार उत्पाद की कीमत के लिए एक समायोजन के रूप में उसका दावा कर सकते हैं।

11. तदनुसार, दिनांक 3 जनवरी, 2024 की अधिसूचना फा. सं. 6/20/2023-डीजीटीआर के तहत प्राधिकारी ने यह अधिसूचित किया कि जैसा कि जांच शुरुआत अधिसूचना में परिभाषित किया गया है, विचाराधीन उत्पाद के दायरे में कोई अंतर नहीं है और संबद्ध जांच में पीसीएन पद्धति की कोई जरूरत नहीं है।

12. तदनुसार, विचाराधीन उत्पाद के दायरे को अनंतिम रूप से निर्धारित किया गया हैं जो इस प्रकार है :

"3. वर्तमान याचिका में विचाराधीन उत्पाद ("पीयूसी") "ट्राइक्लोरो आइसोस्यान्यूरिक एसिड" है जिसे आगे टीसीसीए भी कहा गया है। टीसीसीए एक रासायनिक यौगिक है जिसे आम तौर पर डिसइंफैक्टेंट, ब्लीचिंग एजेंट और जल उपचार रसायन के रूप में प्रयोग किया जाता है। यह एक सफेद क्रिस्टलीय पाउडर होता है जिसमें तेज क्लोरीन की गंध होती है। टीसीसीए एक शक्तिशाली ऑक्सीकरण एजेंट है और इसे व्यापक रूप से स्विमिंग पूल तथा औद्योगिक जल उपचार और स्वच्छता में प्रयोग किया जाता है"। इसे पाउडर, टेबलेट और ग्रेन्यूलर के रुप में उत्पादित किया जा सकता है।

टीसीसीए एक डिसइंफैक्टेंट, काई नाशक और बैक्टीरिया नाशक है जिसे मुख्यतः स्वीमिग पूल और डाई स्टफ में प्रयोग किया जाता है। इसे वस्त्र उद्योग में ब्लीचिंग एजेंट के रूप में प्रयोग किया जाता है। इसे पूल और स्पा में सामान्य सफाई, पशुपालन और मछली पालन में रोगों की रोकथाम और उपचार, फल और सब्जी संरक्षण, अपशिष्ट जल उपचार के रूप में व्यापक रूप से, उद्योग में और वातानुकूलन में पुनः चक्रित जल के लिए काई नाशक, ऊनी कपड़ों के लिए सिकुड़नरोधी उपचार, बीजों के उपचार और कार्बनिक रसायन सिंथेटिक में प्रयोग किया जाता है।

विचाराधीन उत्पाद अध्याय 29 के टैरिफ कोडों 29336910 तथा 29336990 के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है। यह सीमाशुल्क वर्गीकरण केवल सांकेतिक है और वर्तमान जांच के दायरे पर बाध्यकारी नहीं है।"

घ. <u>घरेलू उद्योग का दायरा और आधार</u>

घ.1. <u>अन्य हितबद्ध पक्षकारों के विचार</u>

13. अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने घरेलू उद्योग के दायरे और आधार के संबंध में कोई अनुरोध नहीं किए हैं।

घ.2. <u>घरेलू उद्योग के विचार</u>

14. घरेलू उद्योग के दायरे और आधार के संबंध में घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध इस प्रकार हैं :

i. वर्तमान आवेदन बोडल कैमिकल्स लि. (बीसीएल) द्वारा दाखिल किया गया है, जो कि भारत में संबद्ध वस्तुओं का एकमात्र उत्पादक है।

ii. संबद्ध वस्तुओं के लिए संयंत्र की स्थापना ट्रायोन कैमिकल्स प्रा. लिमि. द्वारा की गई थी और बीसीएल ने ट्रायोन कैमिकल्स प्रा. लिमि. में 100% हिस्सेदारी अर्जित की है।

iii. घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित उत्पादों और संबद्ध देशों से आयात की गई वस्तुओं में कोई ज्ञात अंतर नहीं है।

iv. घरेलू उद्योग ने संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तुओं का आयात नहीं किया है और यह संबद्ध देशों में संबद्ध वस्तुओं के किसी निर्यातक अथवा भारत में संबद्ध वस्तुओं के आयातक संबद्ध नहीं है।

घ.3. <u>प्राधिकारी द्वारा जांच</u>

15. घरेलू उद्योग को पाटनरोधी नियमावली के नियम 2(ख) के तहत इस प्रकार से परिभाषित किया गया है :

"(ख) "घरेलू उद्योग" का तात्पर्य ऐसे समग्र घरेलू उत्पादकों से है जो समान वस्तु के विनिर्माण और उससे जुड़े किसी कार्यकलाप में संलग्न हैं अथवा ऐसे उत्पादकों से है

जिनका उक्त वस्तु का सामूहिक उत्पादन उक्त वस्तु के कुल घरेलू उत्पादन का एक बड़ा भाग बनता है सिवाए उस स्थिति के जब ऐसे उत्पादक आरोपित पाटित वस्तु के निर्यातकों या आयातकों से संबंधित होते हैं अथवा वे स्वयं उसके आयातक होते हैं, तो ऐसे मामले में "घरेलू उद्योग" पद का अर्थ शेष उत्पादकों के संदर्भ में लगाया जा सकता है"।

16. यह आवेदन बोडल केमिकल्स लि. (बीसीएल) द्वारा दाखिल किया गया है। आवेदक भारत में संबद्ध वस्तुओं की एकमात्र उत्पादक है। संयंत्र की स्थापना ट्रायोन केमिकल्स प्रा. लि. द्वारा की गई थी और बीसीएल ने कंपनी में 100% हिस्सेदारी अर्जित की। कंपनी ने *** को वाणिज्यिक उत्पादन शुरू किया था।

17. आवेदकों ने यह कहा है कि उन्होंने संबद्ध देश से संबद्ध वस्तुओं का आयात नहीं किया है और वे संबद्ध देशों में संबद्ध वस्तुओं के किसी निर्यातक अथवा भारत में संबद्ध वस्तुओं के आयातक से संबद्ध नहीं हैं। इसके अलावा, आवेदक के उत्पादन में कुल घरेलू उत्पादन का समग्र हिस्सा शामिल है। इस प्रकार से आवेदक घरेलू उद्योग है, जैसा कि पाटनरोधी नियमावली के नियम 2(ख) के तहत परिभाषित किया गया है और आवेदक पाटनरोधी नियमावली के नियम 5(3) के संदर्भ में आधार की अपेक्षा को पूरा करता है।

ड. <u>गोपनीयता</u>

ड.1. <u>अन्य हितबद्ध पक्षकारों के विचार</u>

18. अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने घरेलू उद्योग द्वारा दावा की गई गोपनीयता के संबंध में कोई अनुरोध नहीं किया गया है। तथापि, घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध के संबंध में, हितबद्ध पक्षकारों ने यह अनुरोध किया है :

i. उत्पादकों/ निर्यातकों ने उत्पादों और उत्पादन की मात्रा की एक सूची प्रदान की है जबकि घरेलू उद्योग ने आवेदक के अगोपनीय पत्र में उनके द्वारा बेचे गए उत्पादों का ब्यौरा प्रदान नहीं किया है।

ii. उत्पादकों/ निर्यातकों ने अपने प्रश्नावली उत्तर में संगत पक्षकारों को प्रकट किया है।

iii. उत्पादकों/ निर्यातकों ने उत्पादन प्रक्रिया प्रदान की है।

iv. चूंकि उत्पादकों/ निर्यातकों ने बाजार अर्थव्यवस्था स्थिति का दावा नहीं किया है, अतः कच्ची सामग्रियों के संबंध में ब्यौरे सामान्य मूल्य की गणना करने के लिए संगत नहीं हैं। भारत को निर्यातों के लिए सूचित किए गए व्यय/ समायोजन वास्तविक आधार पर किए जाते हैं।

v. भारत के लिए निर्यातों के संबंध में सूचना, जिसमें आयातकों का ब्यौरा शामिल है और समायोजन कारोबारी रूप से अत्यधिक संवेदनशील सूचना है और इसका प्रकटीकरण होने के गंभीर परिणाम होंगे।

ड.2. <u>घरेलू उद्योग के विचार</u>

19. घरेलू उद्योग ने अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा दावा की गई गोपनीयता के संबंध में कोई भी अनुरोध नहीं किया है :

i. उत्पादकों/ निर्यातकों ने यह दावा किया है कि उत्पादित उत्पादों और बेचे गए उत्पादों के नाम गोपनीय हैं।

ii. उत्पादकों/ निर्यातकों ने संबद्ध वस्तुओं के उत्पादन में लगे संगत पक्षकारों के संबंध में सूचना के गोपनीय होने का दावा किया है।

iii. उत्पादकों/ निर्यातकों ने यह दावा किया है कि व्यापक स्थिति-वार उत्पादन प्रक्रिया का विवरण और संबद्ध वस्तुओं के उत्पादन में प्रयुक्त कच्ची सामग्रियां गोपनीय होने का दावा किया गया है।

iv. उत्पादकों/ निर्यातकों ने संबद्ध वस्तुओं की बिक्री के लिए वितरण के माध्यम का दावा किया है, जिसके गोपनीय होने का दावा किया गया है।

v. उत्पादकों/ निर्यातकों ने कतिपय समायोजनों के लिए प्रयुक्त पद्धति के गोपनीय होने का दावा किया गया है।

vi. उत्पादकों/ निर्यातकों ने यह दावा किया है कि घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित संबद्ध वस्तुएं बिना किसी साक्ष्य अथवा सूचना के गुणवत्ता मानकों को पूरा नहीं करती।

ड.3. <u>प्राधिकारी द्वारा जांच</u>

20. प्राधिकारी ने नियम 6(7) के तहत सभी अन्य हितबद्ध पक्षकारों को विभिन्न पक्षकारों द्वारा प्रकाशित की गई सूचना का अगोपनीय पाठ उपलब्ध कराया ।

21. सूचना की गोपनीयता के संबंध में, पाटनरोधी नियमावली के नियम 7 के तहत निम्नलिखित प्रावधान हैं :

"गोपनीय सूचना : (1) नियम 6 के उप नियमों (2), (3) और (7), नियम 12 के उप नियम (2), नियम 15 के उप नियम (4) और नियम 17 के उप नियम (4) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी जांच की प्रक्रिया में नियम 5 के उप नियम (1) के अंतर्गत प्राप्त आवेदनों के प्रतियां या किसी पक्षकार द्वारा गोपनीय आधार पर निर्दिष्ट प्राधिकारी को प्रस्तुत किसी अन्य सूचना के संबंध में निर्दिष्ट प्राधिकारी उसकी गोपनीयता से संतुष्ट होने पर उस सूचना को गोपनीय मानेंगे और ऐसी सूचना देने वाले पक्षकार से स्पष्ट प्राधिकार के बिना किसी अन्य पक्षकार को ऐसी किसी सूचना का प्रकटन नहीं करेंगे।

(2) निर्दिष्ट प्राधिकारी गोपनीय अधिकारी पर सूचना प्रस्तुत करने वाले पक्षकारों से उसका अगोपनीय सारांश प्रस्तुत करने के लिए कह सकते हैं और यदि ऐसी सूचना प्रस्तुत करने वाले किसी पक्षकार की राय में उस सूचना का सारांश नहीं हो सकता है तो वह पक्षकार निर्दिष्ट प्राधिकारी को इस बात के कारण संबंधी विवरण प्रस्तुत करेगा कि सारांश करना संभव क्यों नहीं है।

(3) उप नियम (2) में किसी बात के होते हुए भी यदि निर्दिष्ट प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट है कि गोपनीयता का अनुरोध अनावश्यक है या सूचना देने वाला या तो सूचना को सार्वजनिक नहीं करना चाहता है या उसकी सामान्य रूप में या सारांश रूप में प्रकटन नहीं करना चाहता है तो वह ऐसी सूचना पर ध्यान नहीं दे सकते हैं।"

22. हितबद्ध पक्षकारों द्वारा गोपनीय आधार पर प्रदान की गई सूचना के सबंध में, ऐसे दावों की पर्याप्ता के संबंध में जांच की गई थी। संतुष्ट होने पर प्राधिकारी ने आवश्यकता के अनुसार गोपनीयता के दावे को स्वीकार किया है और ऐसी सूचना को गोपनीय माना है तथा अन्य हितबद्ध पक्षकारों को प्रकट नहीं किया है। जहां कहीं भी संभव हुआ, गोपनीय आधार पर सूचना प्रदान करने वाले पक्षकारों को गोपनीय आधार पर दाखिल की गई सूचना का प्रर्याप्त अगोपनीय पाठ उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया था।

प्राधिकारी यह भी नोट करते हैं कि सभी हितबद्ध पक्षकारों ने अपनी कारोबारी दृष्टि से संवेदनशील सूचना को गोपनीय होने का दावा किया गया है।

च. <u>सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत और पाटन मार्जिन</u>

च.1. <u>अन्य हितबद्ध पक्षकारों के विचार</u>

23. अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत और पाटन मार्जिन के संबंध में कोई अनुरोध नहीं किए हैं।

च.2. <u>घरेलू उद्योग के विचार</u>

24. सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत और पाटन मार्जिन के संबंद में घरेलू उद्योग के अनुरोध इस प्रकार हैं :

i. चीन जन. गण. को चीन के एक्सेसन प्रोटोकोल के अनुच्छेद 15(क) (i) के अनुसार एक गैर-बाजार अर्थव्यवस्था के रूप में माना जाना चाहिए और सामान्य मूल्य को नियमावली के अनुबंध I, नियम 7 के अनुसार निर्धारित किया जाना चाहिए।

ii. घरेलू उद्योग ने एक बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश में कीमत के आधार पर सामान्य मूल्य का निर्धारण किया है। इस प्रयोजन के लिए, उसने भारत से एक तीसरे देश को विचाराधीन उत्पाद के निर्यातों पर विचार किया है।

iii. घरेलू उद्योग ने यह अनुरोध किया है कि संबद्ध वस्तुओं के उत्पादक केवल कुछ ही देशों में ध्यान केंद्रित कर रहे हैं और संबद्ध देशों के अलावा, संबद्ध वस्तुएं यूएसए और स्पेन में उत्पादित की जा रही हैं। अतः उपयुक्त बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश केवल यूएसए या स्पेन हो सकते हैं। चूंकि घरेलू उद्योग ने स्वयं ही संबद्ध वस्तुएं यूएसए को निर्यात की हैं, अतः उसने भारत से यूएसए को सामान्य मूल्य के निर्धारण के लिए निर्यात की गई वस्तुओं की पहुंच कीमत ली है। चूंकि सामान्य मूल्य का निर्धारण एक बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश में कीमत के आधार पर निर्धारित की गई हैं, अतः निर्धारण के अन्य आधारों पर भरोसा नहीं किया गया है।

iv. जापान के लिए, घरेलू उद्योग ने यह अनुरोध किया है कि उसने इन देशों में सीधे तौर पर बिक्री की कीमत के आधार पर सामान्य मूल्य निर्धारित करने के लिए प्रयास किए हैं, लेकिन इसके लिए सार्वजनिक रूप से कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं था। तदनुसार, घरेलू उद्योग ने देश में उत्पादन की लागत निर्धारित की है। इस प्रयोजन के लिए, घरेलू उद्योग ने व्यापार मानचित्र पर उपलब्ध सूचना के आधार पर जापान में कास्टिक सोडा की आयात कीमत पर भरोसा किया है। इसके अतिरिक्त, घरेलू उद्योग ने अन्य कच्ची सामाग्रियों और यूटिलिटीज की कीमतों के साथ-साथ उपलब्ध सूचना के आधार पर उत्पादन की लागत के अन्य कारकों का निर्धारण किया है और बिक्री, सामान्य तथा प्रशासनिक व्ययों और तर्कसंगत लाभों को जोड़ने के लिए समायोजन किया है।

v. निर्यात कीमत को कारखाना बाह्य कीमत के निर्धारण के लिए विधिवत समायोजन किए जाने के बाद, प्रकाशित डीजीसीआईएस डेटा से अपनाई गई जांच की प्रस्तावित अवधि के लिए आयातों की मात्रा और मूल्य पर विचार करने के लिए निर्धारित किया जाना चाहिए।

vi. संबद्ध देशों के लिए पाटन मार्जिन न केवल न्यूनतम स्तरों से अधिक है बल्कि महत्वपूर्ण भी है।

च.3. <u>प्राधिकारी द्वारा जांच</u>

25. धारा 9क(1)(ग) के तहत किसी वस्तु के संबंध में सामान्य मूल्य से तात्पर्य है :

"i) *व्यापार की सामान्य प्रक्रिया के समान वस्तु की तुलनीय कीमत जब वह उप नियम* (6) *के तहत बनाए गए नियमों के अनुसार यथानिर्धारित निर्यातक देश या क्षेत्र में खपत के लिए नियत हो, अथवा*

ii) *जब निर्यातक देश या क्षेत्र के घरेलू बाजार में व्यापार की सामान्य प्रक्रिया में समान वस्तु की बिक्री न हुई हो अथवा जब निर्यातक देश या क्षेत्र की बाजार विशेष की स्थिति अथवा उसके घरेलू बाजार में कम बिक्री मात्रा के कारण ऐसी बिक्री की उचित तुलना न हो सकती हो तो सामान्य मूल्य निम्नलिखित में से कोई एक होगा:*

(क) समान वस्तु की तुलनीय प्रतिनिधिक कीमत जब उसका निर्यात उप धारा (6) के अंतर्गत बनाए गए नियमों के अनुसार निर्यातक देश या क्षेत्र से या किसी उचित तीसरे देश से किया गया हो ; अथवा

उप धारा (6) के अंतर्गत बनाए गए नियमों के अनुसार यथानिर्धारित प्रशासनिक, बिक्री और सामान्य लागत एवं लाभ हेतु उचित वृद्धि के साथ उदगम वाले देश में उक्त वस्तु की उत्पादन लागत ;

(ख) परंतु यदि उक्त वस्तु का आयात उदगम वाले देश से भिन्न किसी देश से किया गया है और जहां उक्त वस्तु को निर्यात के देश से होकर केवल स्थानांतरण किया गया है अथवा ऐसी वस्तु का उत्पादन निर्यात के देश में नहीं होता है, अथवा निर्यात के देश में कोई तुलनीय कीमत नहीं है, वहां सामान्य मूल्य का निर्धारण उदगम वाले देश में उसकी कीमत के संदर्भ में किया जाएगा। "

26. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि संबद्ध वस्तुओं के निम्नलिखित उत्पादकों/ निर्यातकों ने निर्यातक प्रश्नावली उत्तर दाखिल किए है :

क. शेडोंग डेमिंग साइंस एंड टेक्नोलॉजी कंपनी लिमिटेड

ख. किंगदाओ प्रोफेलिज बायोलॉजकल टेक्नोलॉजी कं. लिमि.

ग. हांगकांग सीयन इंटरनेशनल लिमिटेड

घ. शेडोंग लांटियन डिस्इंफैक्शन टेक्नोलॉजी कं. लिमि.

ड. पुयांगक्लीनवे केमिकल्स लिमि.

च. शेडोंग गोल्डनस्टार वाटर एन्वायरंमैंट टेक्नोलॉजी कं. लिमि.

छ. हेबेई जिंगफेई केमिकल कंपनी लिमिटेड

ज. नेस्सेई कार्पोरेशन

च.3.1. <u>सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत का निर्धारण</u>

<u>चीन के लिए सामान्य मूल्य</u>

27. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि चीन जन. गण. के लिए सामान्य मूल्य के निर्धारण के संबंध में निम्नलिखित संगत प्रावधान हैं। पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध I के पैरा 7 और पैरा 8 के अंतर्गत प्रावधान इस प्रकार हैं :

"7. गैर-बाजार अर्थव्यवस्था वाले देशों से आयात के मामले में, उचित लाभ मार्जिन को शामिल करने के लिए भारत में समान उत्पाद के लिए वास्तविक रूप से भुगतान किया गया अथवा भुगतान योग्य, आवश्यकतानुसार पूर्णतया समायोजित कीमत रहित, सामान्य, मूल्य का निर्धारण तीसरे देश के बाजार अर्थव्यवस्था में कीमत अथवा परिकलित मूल्य के आधार पर अथवा भारत सहित ऐसे किसी तीसरे देश से अन्य देशों के लिए कीमत अथवा जहां यह संभव नहीं हैं, या किसी अन्य उचित आधार पर किया जाएगा। संबद्ध देश के विकास के स्तर तथा संबद्ध उत्पाद को देखते हुए निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा यथोचित पद्धति द्वारा एक समुचित बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश का चयन किया जाएगा और चयन के समय पर उपलब्ध कराई गई किसी विश्वसनीय सूचना पर यथोचित रूप से विचार किया जाएगा। बाजार अर्थव्यवस्था वाले किसी अन्य तीसरे देश के संबंध में किसी समयानुरूपी मामले में की जाने वाली जांच के मामले में जहां उचित हों, समय-सीमा के भीतर कार्रवाई की जाएगी। जांच से संबंधित पक्षकारों को किसी अनुचित विलंब के बिना बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश के चयन के विशेष में सूचित किया जाएगा और अपनी टिप्पणियां देने के लिए एक समुचित समयावधि प्रदान की जाएगी।"

8. (1) "गैर-बाजार अर्थव्यवस्था वाला देश" वाक्यांश का अर्थ है कि ऐसा देश जिसे निर्दिष्ट प्राधिकारी लागत अथवा कीमत ढांचे के बाजार सिद्धान्तों को लागू नहीं करने वाले देश के रूप में मानते हैं, जिसके कारण ऐसे देश में पण्य वस्तुओं कि बिक्रियों उप पैराग्राफ (3) में निर्दिष्ट मानदंडों के अनुसार वस्तुओं के सही मूल्य को नहीं दर्शाती है।"

(2) यह कहना पूर्वनुमान लगाना होगा कि कोई देश जिसे जांच के पूर्ववर्ती तीन वर्षों के दौरान निर्दिष्ट प्राधिकारी अथवा डब्लू .टी. ओ. के किसी सदस्य के समक्ष प्राधिकारी द्वारा पाटनरोधी जांच के प्रयोजनार्थ एक गैर- बाजार अर्थव्यवस्था वाला देश निर्धारित अथवा माना गया है, एक गैर- बाजार अर्थव्यवस्था वाला देश है। तथापि, गैर बाजार अर्थव्यवस्था वाला देश या ऐसे देश से संबंधित फर्म निर्दिष्ट-प्राधिकारी को सूचना तथा साक्ष्य उपलब्ध कराकर इस परिकल्पना को समाप्त कर सकते हैं जो यह साबित करता हो कि ऐसा देश उप पैरा (3) में निर्दिष्ट मानदंड के आधार पर एक गैर बाजार अर्थ-व्यवस्था वाला देश नहीं है।

(3) निर्दिष्ट प्राधिकारी प्रत्येक मामले में निम्नलिखित मानदंड पर विचार करेंगे कि क्या: (क) ऐसे देश में कच्ची समग्रियों प्रौद्योगिकी लागत और श्रम, उत्पादन, बिक्रियों तथा निवेश सहित कीमतों, लागतों तथा निवेशों के संबंध में संबधित फर्म का निर्णय आपूर्ति तथा मांग को दर्शाने वाले बाजार संकेतों तथा इस संबंध में किसी विशिष्ट राज्य हस्तक्षेप के बिना होता है और यह कि क्या मुख्य निवेशों की लागतें वास्तविक रूप से बाजार मूल्यों को दर्शाती है ; (ख) ऐसी फर्मों की उत्पादन लागतों तथा वित्तीय स्थिति पूर्ववर्ती गैर- बाजार अर्थव्यवस्था प्रणाली से उठाये गये विशिष्ट विरूपणों के अधीन होती है, खासकर ऋणों की प्रतिपूर्ति द्वारा परिसम्पतियों के मूल्यह्रास, अन्य बट्टे खाते वस्तु विनियम व्यापार तथा ऋणों की क्षतिपूर्ति के जरिए तथा भुगतान के संबंध में ; (ग) ऐसी फर्म दिवालियापन तथा सम्पति कानून के अधीन होती है जो कि फर्मों के प्रचालन की कानूनी निश्चितता तथा स्थायित्व की गारंटी देता है ; (घ) विनियम दर के परिवर्तन बाजार दर पर किये जाते है; तथापि, जहां इस पैराग्राफ में निर्दिष्ट मानदंड के आधार पर लिखित रूप में पर्याप्त साक्ष्य दर्शाया जाता है कि पाटनरोधी जांच के अधीन एक अथवा ऐसी अधिक फर्मों के लिए बाजार स्थितियां लागू होती हैं, निर्दिष्ट प्राधिकारी पैरा 7 तथा इस पैरा में निर्दिष्ट सिद्धान्तों के पैरा 1 से 6 में निर्दिष्ट सिद्धान्तों को लागू कर सकते है।

(4) उप पैराग्राफ (2) में किसी बात के होते हुए भी, निर्दिष्ट प्राधिकारी जो संगत मापदंड के अद्यतन विस्तृत मूल्यांकन के आधार पर ऐसे देश को बाजार अर्थव्यवस्था वाला देश मान सकते हैं जिसमें उप पैराग्राफ (3) में विनिर्दिष्ट मापदंड में किसी सार्वजनिक दस्तावेज में ऐसे मूल्यांकन का प्रकाशन शामिल हो, जिसे विश्व व्यापार संगठन के किसी सदस्य देश द्वारा पाटनरोधी जॉच के प्रयोजनार्थ बाजार अर्थव्यवस्था वाला देश माने जाने के लिए माना या निर्धारित किया हो"

28. जांच शुरुआत अवस्था में, प्राधिकारी ने एक गैर-बाजार अर्थव्यवस्था वाले देश के रूप में चीन जन. गण. को मानने की अवधारणा पर आगे कार्यवाही की है। जांच शुरू होने पर, प्राधिकारी ने जांच शुरू होने की सूचना का उत्तर दने और यह सूचना प्रदान करने के लिए कि क्या उनेक आंकड़ों/ सूचना को सामान्य मूल्य के निर्धारण के लिए अपनाया जा सकता है, चीन जन. गण. में उत्पादकों/ निर्यातकों को परामर्श दिया। प्राधिकारी ने इस

संबंध में संगत सूचना प्रदान करने के लिए चीन जन. गण. में सभी ज्ञात उत्पादकों/ निर्यातकों को बजार अर्थव्यवस्था व्यवहार/ अनुपूरक प्रश्नावली की प्रतियां भेजी।

29. डब्ल्यूटीओ में चीन के एक्सेसन प्रोटोकोल के अनुच्छेद 15 के तहत प्रावधान इस प्रकार है:

"(क) जीएटीटी का अनुच्छेद-VI, टैरिफ और व्यापार पर सामान्य समझौता, 1994 ("पाटनरोधी समझौता") के अनुच्छेद-VI के कार्यान्वयन पर समझौता तथा एससीएम समझौता निम्नलिखित के अनुरूप डब्ल्यूटीओ सदस्यों में चीन मूल के आयातों वाली कार्यवाहियों पर लागू होंगे :

"(क) जीएटीटी के अनुच्छेद-VI और पाटनरोधी समझौते के तहत मूल्य की तुलना का निर्धारण करने में आयात करने वाला डब्ल्यू टी ओ सदस्य या तो जांच अधीन उद्योग के लिए चीन के मूल्यों अथवा लागतों का उपयोग करेंगे या उस पद्धति को उपयोग करेंगे जो निम्नलिखित के आधार पर चीन में घरेलू मूल्यों अथवा लागतें के साथ सख्ती से तुलना करने में आधारित नहीं है :

यदि जांच अधीन उत्पादक साफ-साफ यह दिखा सकते हैं कि समान उत्पाद का उत्पादन करने वाले उद्योग में उस उत्पाद के विनिर्माण, उत्पादन और बिक्री के संबंध में बाजार अर्थव्यवस्था की स्थितियां रहती है तो निर्यात करने वाला डब्ल्यूटीओ सदस्य मूल्य की तुलनीयता का निर्धारण करने में जांचाधीन उद्योग के लिए चीन के मूल्यों अथवा लागतों का उपयोग करेगा।

आयातक डब्ल्यूटीओ सदस्य उस पद्धति का उपयोग कर सकता है जो चीन में घरेलू कीमतों अथवा लागतों के साथ सख्त अनुपालन पर आधारित नहीं है, यदि जांचाधीन उत्पादक साफ-साफ यह नहीं दिखा सकते हैं कि उस उत्पाद के विनिर्माण, उत्पादन और बिक्री के संबंध में बाजार अर्थव्यवस्था की स्थितियां समान उत्पाद का उत्पादन करने वाले उद्योग हैं।

(ख) एससीएम समझौते के पैरा II, III और V के अंतर्गत कार्यवाहियों में अनुच्छेद 14(क), 14(ख), 14(ग) और 14(घ) में निर्धारित राजयसहायता को बताते समय एससीएम समझौते के प्रासंगिक प्रावधान लागू होंगे, तथापि, उसके प्रयोग करने में यदि विशेष कठिनाईयां हों, तो आयात करने वाले डब्ल्यूटीओ सदस्य राजसहायता

लाभ की पहचान करने और उसको मापने के लिए तब पद्धति का उपयोग कर सकते हैं जिसमें उस संभावना को ध्यान में रखती है और चीन में प्रचलित निबंधन और शर्तें उपयुक्त बेंचमार्क के रूप में सदैव उपलब्ध नहीं हो सकती है। ऐसी पद्धतियों को लागू करने में, जहां व्यवहार्य हो, आयात करने वाला डब्ल्यूटीओ सदस्य के द्वारा चीन से बाहर प्रचलित निबंधन और शर्तों का उपयोग के बारे में विचार करने से पूर्व ऐसी विद्यामान निबंधन और शर्तों को ठीक करना चाहिए।

(ग) आयात करने वाला डब्ल्यू टी ओ सदस्य उप-पैरा (क) के अनुसार प्रयुक्त पद्धतियों को पाटनरोधी कार्य समिति के लिए अधिसूचित करेगा तथा उप पैराग्राफ (ख) के अनुसार प्रयुक्त पद्धतियों को कमिटी ऑन सब्सिडीज और काउंटरवेलिंग मैसर्स के लिए अधिसूचित करेगा।

(घ) आयात करने वाले डब्ल्यू टी ओ सदस्य को राष्ट्रीय कानून के तहत चीन ने एक बार यह सुनिश्चित कर लिया है कि यह एक बाजार अर्थव्यवस्था है, तो उप पैराग्राफ के प्रावधान (क) समाप्त कर दिए जाएंगे, बशर्ते आयात करने वाले सदस्य के राष्ट्रीय कानून में प्राप्ति की तारीख के अनुरूप बाजार अर्थव्यवस्था संबंधी मानदंड हो। किसी भी स्थिति में उप पैराग्राफ (क) (ii) के प्रावधान प्राप्ति की तारीख के बाद 15 वर्षों में समाप्त होंगे। इसके अलावा, आयात करने वाले डब्ल्यू टी ओ सदस्य के राष्ट्रीय कानून के अनुसरण में चीन के द्वारा यह सुनिश्चित करना चाहिए कि बाजार अर्थव्यवस्था की स्थितियां एक विशेष उद्योग अथवा क्षेत्र में प्रचलित हैं, उप पैराग्राफ (क) के गैर-बाजार अर्थव्यवस्था के प्रावधान उस उद्योग अथवा क्षेत्र के लिए आगे लागू नहीं होंगे।"

30. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि यद्यपि चीन जन. गण. के एक्सेसन प्रोटोकोल के अनुच्छेद 15(क)(ii) के प्रावधान दिनांक 11 दिसंबर, 2016 से समाप्त हो गए हैं लेकिन एक्सेसन प्रोटोकोल के अनुच्छेद 15(क)(i) के अंतर्गत एक बाध्यता के साथ पठित पाटनरोधी करार के अनुच्छेद 2.2.1.1 के तहत प्रावधान में पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-I के पैरा 8 में निर्दिष्ट मानकों को एमईटी की स्थिति का दावा करने के लिए अनुपूरक प्रश्नावली में प्रदान की जाने वाली सूचना/ डेटा के माध्यम से पूरा किया जाना है। प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि चीन जन.गण. से किसी भी उत्पादक या निर्यातक ने बाजार अर्थव्यवस्था व्यवहार अथवा अनुपूरक प्रश्नावली प्रस्तुत नहीं की है। अतः इन

उत्पादकों/ निर्यातकों के लिए सामान्य मूल्य की गणना का, पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-I के पैरा 7 के प्रावधानों के अनुसार निर्धारण किया जाना अपेक्षित है।

31. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि चीन जन. गण. से किसी भी उत्पादक/ निर्यातक के नियमावली के अनुबंध-I के पैरा 8 में यथाउल्लिखित अवधारणा का खंडन करने के लिए अनुपूरक प्रश्नावली उत्तर दाखिल नहीं किया है। इन परिस्थितियों के अंतर्गत, प्राधिकारी ने नियमावली के अनुबंध-I के पैरा 7 के अनुसार आगे कार्यवाही की है।

32. यह नोट किया जाता है कि पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-I के पैरा 7 के तहत गैर-बाजार अर्थव्यवस्थाओं के लिए सामान्य मूल्य के निर्माण की तीन पद्धतियां निर्दिष्ट की हैं: (क) किसी बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश में कीमत अथवा निर्मित मूल्य के आधार पर; (ख) किसी तीसेर देश से भारत सहित अन्य देशों को निर्यात कीमत; और (ग) किसी अन्य तर्गसंगत आधार पर, प्राधिकारी ने यह नोट करते हैं कि पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-I के पैरा 7 के प्रावधानों के अंतर्गत सामान्य मूल्य को पहले एक प्रतिनिधिक देश में कीमत अथवा निर्मित मूल्य के आधार पर निर्धारित किया जाना चाहिए अथवा ऐसे देश से भारत सहित अन्य देशों को निर्यात कीमत के आधार पर निर्धारित किया जाना चाहिए।

33. आवेदन दाखिल करने के समय, घरेलू उद्योग ने एक बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश में कीमत के आधार पर सामान्य मूल्य के लिए गणना प्रदान की है। घरेलू उद्योग ने अपने द्वारा यूएसए को किए गए निर्यातों पर विचार किया और सामान्य मूल्य के निर्धारण के लिए यूएसए ने ऐसी वस्तुओं की कीमत को लिया है। आवेदक ने यह प्रदान किया है कि संबद्ध वस्तुओं के उत्पादक यूएसए और स्पेन सहित केवल कुछ ही देशों पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। किसी अन्य पक्षकार द्वारा एक बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश में उत्पादित संबद्ध वस्तुओं की कीमत अथवा निर्मित मूल्य के संबंध में किसी अन्य पक्षकार द्वारा कोई सूचना प्रस्तुत नहीं की है।

34. यह नोट किया जाता है कि जहां सामान्य मूल्य का निर्धारण एक बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश में कीमत अथवा निर्मित मूल्य के आधार पर किया जाता है, वहां बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश का निर्धारण संबंधित देश के विकास के स्तर और संबंधित उत्पाद को ध्यान में रखकर किया जाना है। इस संबंध में, घरेलू उद्योग इस बात का उचित स्पष्टीकरण नहीं दे सका कि कैसे यूएसए पर एक उपयुक्त बाजार अर्थव्यवस्था

वाले तीसरे देश के रूप में विचार किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त, वर्तमान जांच में शामिल देशों के अलावा, अन्य देशों से भारत में आयात मात्रा में बहुत कम हैं।

35. अतः प्राधिकारी ने तीसरी पद्धति के आधार पर अर्थात भारत में वास्तव में भुगतान की गई अथवा भुगतान की जाने वाली कीमत सहित किसी अन्य तर्गसंगत आधार पर सामान्य मूल्य का निर्माण करने का निर्णय लिया है। प्राधिकारी ने भारत में भुगतान की गई अथवा भुगतान की जाने वाली कीमत के आधार पर सामान्य मूल्य का निर्माण किया है।

36. इस प्रयोजन के लिए प्राधिकारी ने बिक्री, सामान्य और प्रशासनिक व्ययों तथा लाभों को तर्गसंगत रूप से जोड़कर घरेलू उद्योग के उत्पादन की ईष्टतम लागत पर विचार किया है।

<u>शानडोंग लांटियन डिसइंफेक्शन टेक्नोलॉजी कं., किंगदाओं प्रोफेलिज बायोलॉजिकल टेक्नोलॉजी कं. लिमि. तथा हांगकांग सीयन इंटरनेशनल लिमिटेड के लिए निर्यात कीमत</u>

37. शानडोंग लांटियन डिसइंफेक्शन टेक्नोलॉजी कं. लिमि. ("लेनटियन") चीन जन. गण. में संबद्ध वस्तुओं का एक उत्पादक है। लांटियन ने संबद्ध वस्तुएं सीधे भारत में एक असंगत ग्राहक को निर्यात किया है। लांटियन ने विचाराधीन उत्पाद को अपनी सहयक कंपनी किंगदाओं प्रोफेलिज बायोलॉजिकल टेक्नोलॉजी कं. ('किंगदाओं") के माध्यम से निर्यात किया है। किंगदाओं ने सीधे भारत में असंगत ग्राहकों को विचाराधीन उत्पाद का निर्यात किया है। किंगदाओं ने आगे संबद्ध वस्तुओं को चीन में संगत व्यापारी -हांगकांग सियन इंटरनेशनल लिमिटेड (एचकेआईएल)। एचकेएसआईएल ने भारत में असंगत ग्राहकों को संबद्ध वस्तुओं का निर्यात किया है।

लांटियन → भारत में असंगत ग्राहक
लांटियन → किंगदाओ → एचकेएसआईएल → भारत में असंगत ग्राहक
लांटियन → किंगदाओ → भारत में असंगत ग्राहक

38. यह नोट किया जाता है कि जांच की अवधि के दौरान, लांटियन ने *** मी. टन विचाराधीन उत्पाद भारत में असंगत ग्राहकों की सीधे निर्यात किया है और *** मी. टन एक संगत व्यापारी के माध्यम से निर्यात किया है। वर्तमान प्रारंभिक जांच परिणामों के प्रयोजन के लिए, दावा किए गए स्वदेशी मालभाड़ा, समुद्री मालभाड़ा, बीमा, बंदरगाह व्यय,

क्रेडिट लागत और बैंक प्रभारों के लिए समायोजनों को स्वीकार किया गया है। तदनुसार प्राधिकारी ने नीचे दी गई पाटन मार्जिन तालिका में यथा उल्लिखित निर्यात कीमत का अनंतिम रूप से निर्धारण किया है।

<u>पुयांग क्लीनवे केमिकल्स लिमिटेड के लिए निर्यात कीमत</u>

39. पुयांग क्लीनवे केमिकल्स लिमिटेड ('पुयांग") चीन जन. गण. में संबद्ध वस्तुओं का एक उत्पादक है। पुयांग ने भारत में असंगत ग्राहकों को सीधे संबद्ध वस्तुओं का निर्यात किया है।

40. यह नोट किया जाता है कि जांच की अवधि के दौरान, पुयांग ने भारत में असंगत ग्राहकों को सीधे ही *** मी. टन विचाराधीन उत्पाद का निर्यात किया है। स्वेदशी मालभाड़ा, समुद्री मालभाड़ा, बीमा और बंदरगाह व्ययों के लिए समायोजन को वर्तमान प्रारंभिक जांच परिणामों के प्रयोजन के लिए स्वीकार किया गया है। तदनुसार, प्राधिकारी ने नीचे दी गई पाटन मार्जिन तालिका में यथा उल्लिखित निर्यात कीमत का अनंतिम रूप से निर्धारण किया है।

<u>शानडोंग गोल्डनस्टार वाटर एनवायरनमेंट टेक्नोलॉजी कं. लि., बेईफांग अल्फा इंटरनेशनल ट्रेडिंग कं. लि. और किंगदाओ थोर इंडस्ट्रीयल कं. लिमि., हाईड्रोटेक इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड के लिए निर्यात कीमत</u>

41. शानडोंग गोल्डनस्टार वाटर एनवायरनमेंट टेक्नोलॉजी कं. लिमि. ("गोल्डनस्टार") चीन जन. गण. में संबद्ध वस्तुओं का एक उत्पादक है। गोल्डनस्टार ने भारत में संगत और असंगत व्यापारियों के माध्यम से संबद्ध वस्तुओं का निर्यात किया है। बेईफांग अल्फा इंटरनेशनल ट्रेडिंग कं. लिमि., (अल्फा इंटरनेशनल) गोल्डनस्टार की एक संगत व्यापारी है, जिसने विचाराधीन उत्पाद का भारत में असंगत ग्राहकों को निर्यात किया है। गोल्डनस्टार ने भी दो असंगत व्यापारियों - हाइड्रोटेक इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड (हाइड्रोटेक) और किंगदाओ थोर इंडस्ट्रियल कं. लिमि. (थोर इंटरनेशनल) के माध्यम से विचाराधीन उत्पाद की बिक्री की है, जिसने भारत में असंगत ग्राहकों को विचाराधीन उत्पाद का निर्यात किया है।

गोल्डनस्टार → हाइड्रोटेक → भारत में असंगत ग्राहक

गोल्डनस्टार → अल्फा इंटरनेशनल → भारत में असंगत ग्राहक

गोल्डनस्टार → थोर इंडस्ट्रियल → भारत में असंगत ग्राहक

42. यह नोट किया जाता है कि जांच की अवधि के दौरान गोल्डनस्टार ने अपने संगत व्यापारियों के माध्यम से *** मी. टन विचाराधीन उत्पाद और असंगत व्यापारियों के माध्यम से *** मी. टन विचाराधीन उत्पाद का भारत में असंगत ग्राहकों को निर्यात किया है। स्वदेशी मालभाड़ा, बंदरगाह व्ययों और क्रेडिट लागतों के लिए समायोजनों को वर्तमान प्रारंभिक जांच परिणामों के प्रयोजन के लिए स्वीकार किया गया है। तदनुसार, प्राधिकारी ने अनंतिम रूप से निर्यात कीमत निर्धारित की है, जैसा कि नीचे पाटन मार्जिन तालिका में उल्लेख किया गया है।

<u>हेबेई जिंगफेई केमिकल कं. लिमि. ("हेबेई") और हाईड्रोटेक इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड के लिए निर्यात कीमत</u>

43. मैसर्स हेबेई जिंगफेई केमिकल कं. लि. ने एक उत्पादक के रूप में और हाइड्रोटेक इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड ने एक निर्यातक के रूप में निर्यातक प्रश्नावली के उत्तर दाखिल किए। प्रश्नावली उत्तर के विश्लेषण से यह दर्शाया गया कि कंपनी के अप्रैल 2022 में *** मी. टन के निर्यात की सूचना दी थी। तथापि, दस्तावेजों का विश्लेषण यह दर्शाता है कि कंपनी ने 10 मार्च, 2022 और 31 मार्च, 2022 को सामग्री इनवायॉस की है। तथापि परिशिष्ट 3बी में इनवॉयस की तारीख 2 अप्रैल, 2022 और 15 अप्रैल, 2022 बताई गई है। इस प्रकार यह नोट किया जाता है कि कंपनी ने भारत को अपने निर्यातों की तारीख के डेटा गलत बताए हैं। चूंकि कंपनी द्वारा प्रदान किए गए वाणिज्यिक इनवॉयस में स्पष्ट रूप से यह दर्शाया गया है कि वस्तुएं 10 मार्च, 2022 और 31 मार्च, 2022 को अर्थात जांच की अवधि से पहले इनवॉयस की गई थी, लेकिन प्राधिकारी ने अनंतिम रूप से उत्पादक द्वारा किए गए निर्यातों के संबंध में पाटन मार्जिन का निर्धारण नहीं किया है।

<u>शानडोंग डेमिंग साइंस एंड टेक्नोलॉजी कं. लि. के लिए निर्यात कीमत</u>

44. शानडोंग डेमिंग साइंस एवं टेक्नोलॉजी कं. लिमि. ("डेमिंग") चीन जन. गण. में संबद्ध वस्तुओं का एक उत्पादक है। डेमिंग ने भारत में असंगत ग्राहकों को सीधे ही संबद्ध वस्तुओं का निर्यात किया है।

45. यह नोट किया जाता है कि जांच की अवधि के दौरान, डेमिंग ने भारत में असंगत ग्राहकों की सीधे *** मी. टन विचाराधीन उत्पाद का निर्यात किया है। स्वदेशी मालभाड़ा, समुद्री मालभाड़ा, बीमा, बंदरगाह व्ययों और बैंक प्रभारों के लिए समायोजनों को वर्तमान प्रारंभिक जांच परिणामों के प्रयोजन के लिए स्वीकार किया गया है। तदनुसार, प्राधिकारी ने नीचे

दी गई पाटन मार्जिन तालिका में यथा उल्लिखित निर्यात कीमत का अनंतिम रूप से निर्धारण किया है।

चीन जन. गण. से सभी असहयोगी उत्पादकों/ निर्यातकों के लिए निर्यात कीमत

46. चीन से अन्य असहयोगी उत्पादकों/ निर्यातकों के लिए निर्यात कीमत का निर्धारण, नियमावली के नियम 6(8) के अनुसार उपलब्ध कराए गए तथ्यों के आधार पर किया गया है।

जापान के लिए सामान्य मूल्य

47. यह नोट किया जाता है कि जापान से एक निर्यातक/ व्यापारी नीसेई कॉरपोरेशन ने निर्यातक प्रश्नावली उत्तर दाखिल किया है। तथापि, जापान से किसी भी उत्पादक ने सामान्य मूल्य की गणना के लिए अपेक्षित सूचना प्रदान नहीं की और उत्तर दाखिल नहीं किया। चूंकि पाटन मार्जिन का निर्धारण उत्पादक के लिए किया गया है न कि निर्यातक के लिए, अतः नीसेई कॉरपोरेशन का कोई भी व्यक्तिगत मार्जिन प्रदान नहीं किया जा सकता है। जापान से किसी अन्य उत्पादक ने भी उत्तर दाखिल नहीं किया है। तदनुसार, प्राधिकारी ने जापान के उत्पादकों और निर्यातकों के लिए सामान्य मूल्य का निर्धारण उपलब्ध तथ्यों के आधार पर किया है और उसे नीचे दी गई पाटन मार्जिन तालिका में उल्लिखित किया गया है।

जापान के लिए निर्यात कीमत

48. उत्पादकों/ निर्यातकों के लिए निर्यात कीमत का निर्धारण नियमावली के नियम 6(8) के अनुसार उपलब्ध तथ्यों के आधार पर किया गया है।

च.3.3. पाटन मार्जिन

वर्तमान जांच में निर्धारित किया गया सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत और पाटन मार्जिन नीचे दिया गया है :

पाटन मार्जिन तालिका

उत्पादक	सामान्य मूल्य (यूएस डॉलर/ मी. टन)	निर्यात कीमत (यूएस डॉलर/ मी. टन)	पाटन मार्जिन (यूएस डॉलर/ मी. टन)	पाटन मार्जिन (%)	पाटन मार्जिन (रेंज)

चीन					
शानडोंग गोल्डनस्टान वाटर एनवायरनमेंट टेक्नोलॉजी कं., लिमि.	***	***	***	***	55-65
पुयांग क्लीनवे केमिकल्स लिमिटेड	***	***	***	***	40-50
शानडोंग डेमिंग साइंस एंड टेक्नोलॉजी कं. लिमि.	***	***	***	***	50-60
शानडोंग लांटियन डिसइंफेक्शन टेक्नोलॉजी कं.	***	***	***	***	60-70
कोई अन्य	***	***	***	***	70-80
जापान					
कोई अन्य	***	***	***	***	5-15

छ. <u>क्षति का आकलन और कारणात्मक संबंध</u>

छ.1. <u>अन्य हितबद्ध पक्षकारों के विचार</u>

49. अन्य हितबद्ध पक्षकारों के क्षति और कारणात्मक संबंध के बारे में कोई अनुरोध नहीं किया है।

छ.2. <u>घरेलू उद्योग के विचार</u>

50. घरेलू उद्योग द्वारा क्षति और कारणात्मक संबंध के बारे में निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:

i. घरेलू उद्योग की मौजूदगी के बावजूद, समग्र बाजार में आयातों का प्रभाव रहा है। आयातों में जांच की अवधि के दौरान बाजार अंश का ***% शामिल है।

ii. संबद्ध देश से आयातों की मात्रा, जांच की अवधि में भारतीय उत्पादन का *** गुणा थी, जबकि देश में कोई मांग-आपूर्ति अंतराल नहीं रहा। यह स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि निर्यातक घरेलू उद्योग को संचालित करने के लिए भारतीय बाजार में प्रवेश कर रहे हैं।

iii. यद्यपि वर्ष 2020-21 और 2021-22 के बीच आयातों में गिरावट आई थी, जो कि कोविड से संबंधित स्थितियों के चलते खपत में गिरावट आने के कारण से

थी। तथापि, जांच की अवधि के दौरान स्थिति में बदलाव आया और आयातों की मात्रा जांच की अवधि के दौरान सर्वाधिक थी, जो 149% तक की तीव्र वृद्धि रही।

iv. पाटित आयातों से घरेलू कीमतों में कटौती हो रही है और जांच की अवधि के दौरान यह कटौती काफी सकारात्मक है।

v. संबद्ध आयातों के कारण घरेलू उद्योग की कीमतों पर निरंतर दवाब आया है, क्योंकि वे क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत से कमतर कीमत पर थी।

vi. जांच की अवधि में, बिक्रियों की कीमत में तीव्र वृद्धि हुई है। तथापि, लागतों में वृद्धि के बावजूद, निर्यातकों ने उनकी कीमतों में उसके अनुपात में वृद्धि नहीं की और वे बिक्रियों की लागत से नीचे थी।

vii. आयातों की कीमतें घरेलू उद्योग की परिवर्तनीय लागत से कम थी। इसका तात्पर्य यह हुआ कि घरेलू उद्योग के लिए आयात कीमत से प्रतिस्पर्धा करना संभव नहीं है। ससे आयातित वस्तुओं के लिए मांग उत्पन्न होती है।

viii. पाटित आयातों से घरेलू उद्योग की कीमतों पर एक दबावकारी प्रभाव रहा है।

ix. अनेक शटडाउन के कारण, घरेलू उद्योग के पास अपनी केवल *** % क्षमता उपलब्ध थी। इसके बावजूद, घरेलू उद्योग जांच की अवधि के दौरान अपनी नियोजित क्षमता में से केवल *** % क्षमता का ही उपयोग कर पाया है। इस प्रकार, घरेलू उद्योग ने अपनी उपलब्ध कुल क्षमता का मामूली सा *** % उपयोग किया है।

x. घरेलू उद्योग का मांग में हिस्सा काफी कम *** % है, यद्यपि भारतीय मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त क्षमता है।

xi. उसने घरेलू बाजार में अपने उत्पादन का केवल *** % ही बिक्री किया है, जो हानि पर भी है।

xii. पाटित आयातों के निरंतर दबाव के कारण, घरेलू उद्योग अपनी उत्पादन क्षमता का पर्याप्त निपटान करने में समर्थ नहीं रहा है। परिणामस्वरूप, घरेलू उद्योग वस्तुओं का संचय करने से बचने के लिए अपनी वस्तुसूचियों का निपटान करने के लिए नुकसान पर भी निर्यात करने पर मजबूर हो गया था।

xiii. यहां तक कि घरेलू उद्योग की औसत वस्तुसूची धारण अवधि इतनी अधिक है कि महीनों तक लगातार प्रचालन हो सकता है।

xiv. जांच की अवधि में, घरेलू उद्योग को लाभप्रदत्ता में विगत वर्ष की तुलना में करीब 587% तक की गिरावट आई है। घरेलू उद्योग करीब *** % की नकदी हानि और *** % के एक नकारात्मक प्रतिफल के साथ नुकसान उठाने पर मजबूर था।

xv. आवेदक को क्षति अवधि के दौरान कई बार अपने संयंत्र को बंद करना पड़ा और *** पर अपना प्रचालन बंद करना पड़ा क्योंकि संबद्ध देशों से निरंतर पाटन हो रहा था और वह जांच की अवधि के दौरान उसे पुनः शुरू करने में समर्थ नहीं रहा।

xvi. वर्तमान मामले में एक अंतरिम शुल्क लगाने की काफी जरूरत है क्योंकि घरेलू उद्योग अपेक्षित स्तर तक पहुंचाना तो दूर अपना प्रचालन बनाए रखने के लिए संघर्ष करता रहा है।

छ.3 <u>प्राधिकारी द्वारा जांच</u>

51. अनुबंध-2 के साथ पठित पाटन-रोधी नियमावली के नियम-11 में किसी क्षति के निर्धारण में यह उपबंध है कि किसी क्षति जांच में " ....पाटित आयातों की मात्रा ,समान वस्तुओं के लिए घरेलू बाजार में कीमतों पर उनके प्रभाव और ऐसी वस्तुओं के घरेलू उत्पादकों पर ऐसे आयातों के परिणामी प्रभाव सहित सभी संगत कारकों को ध्यान में रखते हुए.. "... ऐसे कारकों की जांच शामिल होगी, जिनसे घरेलू उद्योग को हुई क्षति का पता चल सकता हो। कीमतों पर पाटित आयातों के प्रभाव पर विचार करते समय इस बात पर विचार करना आवश्यक है कि क्या पाटित आयातों द्वारा भारत में समान वस्तु की कीमत की तुलना में अत्यधिक कीमत कटौती हुई है अथवा क्या ऐसे आयातों के प्रभाव से की कीमतों में अन्यथा अत्यधिक गिरावट आई है या कीमत में होने वाली उस वृद्धि में रूकावट आई है, जो अन्यथा पर्याप्त स्तर तक बढ़ गई होती। भारत में घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों के प्रभाव की जांच करने के लिए उद्योग की स्थिति को प्रभावित करने वाले उत्पादन, क्षमता उपयोग, बिक्रियों की मात्रा, स्टॉक, लाभप्रदता, निबल बिक्री वसूली, पाटन की मात्रा और मार्जिन आदि जैसे सूचकों पर पाटन-रोधी नियमावली के अनुबंध-II के अनुसार विचार किया गया है।

52. प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग को क्षति के संबंध में हितबद्ध पक्षकारों के तर्कों और विपरीत तर्कों की जांच की है। प्राधिकारी द्वारा किए गए क्षति संबंधी विश्लेषण में हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए विभिन्न अनुरोधों का उल्लेख किया गया है।

छ.3.1 <u>क्षति का संचयी मूल्यांकन</u>

53. नियमों के अनुबंध-II के भाग (III) और डब्ल्यूटीओ समझौते के अनुच्छेद 3.3 में यह व्यवस्था की गई है कि यदि जहां एक से अधिक देशों से आयात एक ही समय पाटनरोधी जांचों के अध्यधीन है, वहां प्राधिकारी ऐसे आयातों के प्रभाव का संचित रूप से मूल्यांकन करेंगे यदि यह निर्धारित करता है कि:-

क. प्रत्येक देश से आयातों के संबंध में स्थापित पाटन का मार्जिन निर्यात कीमत के प्रतिशतांक के रूप में अभिव्यक्त दो प्रतिशत से अधिक है और प्रत्येक देश से आयातों की मात्रा समान वस्तु के आयात के तीन प्रतिशत (या अधिक) है या जहां प्रत्येक पृथक देश के आयात तीन प्रतिशत से कम हैं, वहां आयात सामूहिक रूप से समान वस्तु के आयात के सात प्रतिशत से अधिक के लिए जिम्मेदार हैं, और

ख. आयातों के प्रभाव का संचयी मूल्यांकन आयातित वस्तु और समान घरेलू वस्तुओं के बीच प्रतिस्पर्धा की स्थितियों को देखते हुए उचित है।

54. प्राधिकारी नोट करते हैं कि:-

क. संबद्ध देशों से भारत में संबद्ध वस्तुएं पाटित की जा रही है। प्रत्येक संबद्ध देश से पाटन का मार्जिन नियमों के तहत निर्धारित न्यूनतम सीमाओं से अधिक है।

ख. प्रत्येक संबद्ध देश से आयातों की मात्रा वैयक्तिक रूप से आयातों की कुल मात्रा के 3 प्रतिशत से अधिक है।

ग. आयातों के प्रभाव का संचित मूल्यांकन उचित है, क्योंकि संबद्ध देशों से आयात न केवल उनमें से प्रत्येक के द्वारा प्रस्तुत समान वस्तुओं से सीधे प्रतिस्पर्धा कर

रहे हैं, बल्कि भारतीय बाजार में घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत समान वस्तुओं के साथ भी प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं।

55. उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए, प्राधिकारी का विचार है कि घरेलू उद्योग पर चीन जन. गण. और जापान से संबद्ध वस्तुओं के पाटित आयातों के प्रभाव का मूल्यांकन करना सही है।

छ.3.2 <u>पाटित आयातों का मात्रा प्रभाव</u>

क) <u>मांग / स्पष्ट खपत का आकलन</u>

56. प्राधिकारी ने भारतीय उद्योग की घरेलू बिक्रियों और सभी स्रोतों से आयातों के जोड़ के रूप में भारत में संबंधित उत्पाद की मांग या स्पष्ट खपत को वर्तमान जांच के प्रयोजन हेतु परिभाषित किया है। इस प्रकार आकलन की गई मांग को नीचे तालिका में दिया गया है:-

विवरण	यूनिट	2019-20	2020-21	2021-22	पीओआई
आवेदक की बिक्रियां	मी. टन	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	39	1,345	1,173
संबद्ध आयात	मी. टन	4,414	1,742	1,917	6,433
अन्य आयात	मी. टन	0	42	21	100
खपत	मी. टन	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	40	53	155

57. यह देखा गया है कि संबद्ध वस्तुओं की मांग में 2020-21 में गिरावट आई है, लेकिन उसके बाद इसमें क्रमश: वृद्धि हुई है।

ख) <u>संबद्ध देशों से आयात मात्रा</u>

58. पाटित आयातों की मात्रा के संबंध में, प्राधिकारी को यह विचार किया जाना चाहिए कि क्या पाटित आयातों में या तो कुल रूप में या भारत में उत्पादन या खपत के सापेक्ष महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है। क्षति अवधि के दौरान संबद्ध देश से संबद्ध वस्तुओं की आयात मात्रा और पाटित आयातों का हिस्सा निम्नानुसार है:-

विवरण	यूनिट	2019-20	2020-21	2021-22	पीओआई
संबद्ध आयात	मी. टन	4,414	1,742	1,917	6,433
चीन	मी. टन	4,211	1,710	1,705	6,203
जापान	मी. टन	203	33	212	230
अन्य देश	मी. टन	-	42	21	100
कुल आयात	मी. टन	4,414	1,784	1,938	6,533
उत्पादन	मी. टन	***	***	***	***
निम्न के संबंध में संबद्ध आयात:					
कुल आयात	%	100	98	99	98
उत्पादन	सूचीबद्ध	100	401	344	257
उत्पादन	%	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	10	13	57
खपत	%	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	98	82	94

59. यह देखा गया है कि:-

क. 2020-21 और 2021-22 के बीच आयातों में गिरावट आई है, किंतु इसके बाद इसमें उल्लेखनीय रूप से वृद्धि हुई है और जांच की अवधि के दौरान ये उच्चतम थे।

ख. जांच की अवधि के दौरान *** प्रतिशत हिस्से के साथ, संबद्ध देशों से आयात देश में संपूर्ण आयातों को स्थापित करते हैं।

ग. उत्पादन के संबंध में आयात, आधार वर्ष में उच्चतम थे, किंतु 2021-22 में उसके बाद महत्वपूर्ण गिरावट आई। पुन पीओआई में विषय आयातों में पर्याप्त वृद्धि हुई।

घ. पीओआई में आयात निरपेक्ष रूप से सबसे अधिक है और पिछले वर्ष की तुलना में इसमें लगभग 236% की वृद्धि हुई है।

ड. खपत के संबंध में आयातों में पिछले वर्ष की तुलना में 11 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

60. घरेलू उद्योग ने यह भी जोर दिया है कि संबद्ध देश से आयातों में कोविड के कारण 2020-21 और 2021-22 में कमी आई है, लेकिन जांच की अवधि के दौरान इसमें 236 प्रतिशत तक की वृद्धि हुई है।

विवरण	यूनिट	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23
संबद्ध आयात	मी. टन	4,414	1,742	1,917	6,433
वृद्धि की दर	%		-61%	10%	236%

61. यह देखा गया है कि 2020-21 में गिरावट के पश्चात् जांच की अवधि के दौरान आयातों में महत्वपूर्ण दर पर वृद्धि हुई है।

छ.3.3 पाटित आयातों का कीमत प्रभाव

62. नियमों के अनुबंध-II(ii) के संदर्भ में, कीमतों पर पाटित आयातों के प्रभाव के संबंध में, प्राधिकारी द्वारा यह विचार किए जाने की जरूरत है कि क्या भारत में समान उत्पाद की कीमत की तुलना में पाटित आयातों द्वारा महत्वपूर्ण कीमत कटौती की गई है या ऐसे आयातों के प्रभाव ने अन्यथा रूप से महत्वपूर्ण स्तर तक कीमतों में ह्रास किया है अथवा कीमतों में उस वृद्धि को रोका है जो अन्यथा उल्लेखनीय स्तर तक घटित हुई होती।

क) कीमत कटौती

63. कीमत कटौती को घरेलू उद्योग की निवल बिक्री आय की जांच की अवधि के लिए आयातों की पहुंच कीमत के साथ तुलना करके निर्धारित किया गया है। यह देखा गया है कि जांच की अवधि के दौरान कीमत कटौती सकारात्मक और महत्वपूर्ण है।

विवरण	यूनिट	पीओआई
निवल बिक्री कीमत	रू/मी. टन	***
पहुंच कीमत	रू/मी. टन	1,55,707
कीमत कटौती	रू/मी. टन	***

कीमत कटौती	%	***
रेंज	रेंज	30-40%

64. यह नोट किया गया है कि जांच की अवधि के दौरान संबद्ध आयात घरेलू उद्योग की कीमतों में कटौती कर रहे थे। इसके अलावा, यह कटौती उल्लेखनीय थी।

ख) कीमत ह्रास / न्यूनीकरण

65. यह निर्धारित करने के लिए कि क्या पाटित आयात घरेलू कीमतों में ह्रास कर रहे हैं और क्या ऐसे आयातों के प्रभाव ने महत्वपूर्ण सीमा तक कीमतों में ह्रास किया है या कीमत उस वृद्धि को रोका है जो अन्यथा सामान्य अवधि में घटित हुई होती, क्षति अवधि में लागतों और कीमतों में परिवर्तनों की निम्नानुसार तुलना की गई है:-

विवरण	यूनिट	2019-20	2020-21	2021-22	पीओआई
बिक्रियों की लागत (घरेलू)	रू/मी. टन	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	89	74	111
बिक्री कीमत	रू/मी. टन	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	98	130	144
पहुंच कीमत	रू/मी. टन	1,17,929	1,05,265	1,66,360	1,55,707
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	89	141	132

66. यह नोट किया जाता है कि पूरी क्षति अवधि में आयातों का पहुंच मूल्य घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत से कम था।

67. जांच की अवधि के दौरान, घरेलू उद्योग की बिक्रियों की लागत में तेजी से वृद्धि हुई। हालांकि आयातों की कीमतों में कमी आई है और वे घरेलू उद्योग की बिक्रियों की लागत से बहुत कम थीं। इसने घरेलू उद्योग को लागत में वृद्धि के अनुरूप इसकी कीमतों में वृद्धि करने से रोका है। इसलिए, यह नोट किया जाता है कि आयातों ने कीमतों में वृद्धि को नियंत्रित किया है जो अन्यथा घटित हुई होती।

68. घरेलू उद्योग ने भी जांच की अवधि के दौरान दावा किया है कि कच्चे माल में से एक अर्थात् सायन्यूरिक एसिड की कीमत 70 प्रतिशत तक बढ़ी है। हालांकि, माल की पहुंच कीमत में वृद्धि नहीं हुई है। तदनुसार, घरेलू उद्योग कच्चे माल की लागत में वृद्धि के अनुरूप अपनी कीमतों में वृद्धि करने में सक्षम नहीं था।

अविध	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23
कास्टिक सोडा लाय की कीमत	***	***	***	***
प्रवृत्ति	100	48	86	131
सायन्यूरिक एसिड	***	***	***	***
प्रवृत्ति	100	82	79	135
कच्चे माल की लागत	***	***	***	***
प्रवृत्ति	100	70	74	125

छ.3.4 <u>घरेलू उद्योग के आर्थिक मापदंड</u>

69. पाटनरोधी नियमों के अनुबंध-II के अनुसार यह जरूरी है कि क्षति के निर्धारण में ऐसे उत्पादों के घरेलू उत्पादकों पर पाटित आयातों के परिणामी प्रभाव को उद्देश्यपरक जांच शामिल होगी। ऐसे उत्पादों के घरेलू उत्पादकों पर पाटित आयातों के परिणामी प्रभाव के संबंध में, नियमों में यह व्यवस्था की गई है कि घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों के प्रभाव की जांच में उद्योग की स्थिति पर प्रभाव डालने वाले सभी संगत आर्थिक कारकों और आंकड़ों, जिनमें बिक्रियों, लाभों, आउटपुट, बाजार हिस्से, उत्पादकता में वास्तविक और संभावित गिरावट, निवेशों पर आय या क्षमता के उपयोग, घरेलू कीमतों को प्रभावित करने वाले कारक, पाटन के मार्जिन की मात्रा, नकद प्रवाह पर ऋणात्मक वास्तविक और संभावित प्रभाव, मालसूची, रोजगार, मजदूरी, संवृद्धि, पूंजी निवेशों को जुटाने की क्षमता का एक उद्देश्यपरक और निष्पक्ष मूल्यांकन शामिल होगा। घरेलू उद्योग से संबंधित विभिन्न क्षति संबंधी मापदंडों पर यहां नीचे चर्चा की गई है।

क) उत्पादन, क्षमता, क्षमता उपयोग और बिक्रियों की मात्रा

70. क्षति अवधि में घरेलू उद्योग की क्षमता, उत्पादन, बिक्रियां और क्षमता उपयोग यहां नीचे दिए गए हैं:-

विवरण	यूनिट	2019-20	2020-21	2021-22	पीओआई
स्थापित क्षमता	मी. टन	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	100	100	100
उत्पादन	मी. टन	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	401	344	257
क्षमता उपयोग	%	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	401	345	257
घरेलू बिक्रियां	मी. टन	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	39	1345	1172
निर्यात बिक्रियां	मी. टन	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	94	197	83

71. यह देखा गया है कि:-

क. घरेलू उद्योग ने अपना संयंत्र *** को बंद किया था और जांच की अवधि के दौरान इसे दुबारा शुरू करने में समर्थ नहीं था।

ख. जांच अवधि के दौरान घरेलू उद्योग का क्षमता उपयोग संस्थापित क्षमता का ***% था।

ग. कुल क्षमता और कुल उत्पादन की तुलना में घरेलू बिक्रियां नगण्य हैं।

घ. घरेलू उद्योग घरेलू बाजार में अपने उत्पादन के केवल *** प्रतिशत की बिक्री करने में सक्षम है।

72. उपलब्ध कराई गई सूचना से यह भी देखा गया है कि घरेलू उद्योग ने जांच की अवधि के दौरान अपने उत्पादन को अधिकतर भाग की हानि पर निर्यात किया है जो स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि घरेलू उद्योग को मालसूची को एकत्र होने से बचने के लिए उत्पाद का निर्यात करने के लिए बाध्य किया गया था।

विवरण	**यूओएम**	**रू/मी. टन**

बिक्री कीमत (निर्यात)	रू/मी.टन	***
बिक्रियों की लागत (निर्यात)	रू/मी.टन	***
लाभ	रू/मी.टन	(***)

ख) बाजार हिस्सा

73. घरेलू उद्योग और आयातों का बाजार हिस्सा नीचे तालिका में दर्शाए गए अनुसार हैं:-

बाजार हिस्सा	यूनिट	2019-20	2020-21	2021-22	पीओआई
घरेलू उद्योग	%-सूचीबद्ध	100	100	1700	500
संबद्ध आयात	%- सूचीबद्ध	100	98	83	94
अन्य आयात	%- सूचीबद्ध		100	50	50

74. यह नोट किया जाता है कि भारत में संबद्ध वस्तुओं का एकमात्र उत्पादक होने और मांग के लगभग 90 प्रतिशत को पूरा करने की क्षमता होने के बावजूद, भारतीय बाजार में घरेलू उद्योग का हिस्सा केवल *** प्रतिशत है। संबद्ध देशों से आयातों का जांच की अवधि के दौरान *** प्रतिशत हिस्से के साथ पूरी क्षति अवधि में भारतीय बाजारों पर हावी होना जारी है।

ग) मालसूची

75. क्षति अवधि में घरेलू उद्योग की मालसूची की स्थिति नीचे तालिका में दी गई है:-

विवरण	यूनिट	2019-20	2020-21	2021-22	पीओआई
प्रारंभिक मालसूची	मी. टन	***	***	***	***
अंतिम मालसूची	मी. टन	***	***	***	***
औसत मालसूची	मी. टन	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	154	182	99

76. यह नोट किया जाता है कि घरेलू उद्योग की औसत मालसूचियों में 2021-22 तक लगातार वृद्धि हुई है और इसमें केवल जांच की अवधि के दौरान ह्रास हुआ है। तथापि,

फिर भी घरेलू उद्योग घरेलू बाजार में अपने उत्पादन का निपटान करने में सफल नहीं हुआ है। इसके अतिरिक्त, यह देखा गया है कि घरेलू उद्योग की औसत मालसूची धारण अवधि *** दिन है।

घ) नियोजित पूंजी पर लाभप्रदता, नकद लाभ और पूंजी पर आय

77. क्षति अवधि में घरेलू उद्योग की लाभप्रदता, निवेश पर आय और नकद लाभ नीचे तालिका में दिए गए हैं:-

विवरण	यूनिट	2019-20	2020-21	2021-22	पीओआई
बिक्रियों की लागत	रू/मी.टन	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	89	74	111
बिक्री कीमत	रू/मी.टन	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	98	130	144
लाभ / (हानि)	रू/मी.टन	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	-100	-75	11	-59
लाभ / (हानि)	लाख रू.	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	-100	-29	142	-679
नकद लाभ	लाख रू.	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	-100	-25	450%	-575
निवेश पर आय	%	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	-100	-72	33	-89

78. यह नोट किया गया है कि:-

क. क्षति अवधि के पहले दो वर्षों में घरेलू उद्योग हानियों में था, किंतु 2021-22 में इसने लाभ अर्जित किया है। तथापि, इस अवधि के दौरान, लाभप्रदता निम्न थी और घरेलू उद्योग ने नियोजित पूंजी पर केवल *** प्रतिशत की आय अर्जित की है।

ख. जांच की अवधि के दौरान, घरेलू उद्योग की लाभप्रदता में पिछले वर्ष की तुलना में लगभग *** प्रतिशत का ह्रास हुआ है।

ग. आवेदक ने जांच की अवधि के दौरान हानियों और नकद हानियों का व्यय किया हुआ है और निवेश पर ऋणात्मक आय का सामना कर रहा है। आवेदक ने *** प्रतिशत निवेश पर आय ऋणात्मक को वहन किया है।

ड.) रोजगार, उत्पादकता और मजदूरी

79. प्राधिकारी ने नीचे दिए गए अनुसार रोजगार, मजदूरी और उत्पादकता की जांच की है:-

विवरण	यूनिट	2019-20	2020-21	2021-22	पीओआई
कर्मचारियों की संख्या	संख्या	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	126	132	134
वेतन और मजदूरी	लाख रू.	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	115	151	147
उत्पादकता प्रति दिन	मी.टन/दिन	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	400	300	300
उत्पादकता प्रति कर्मचारी	मी.टन/संख्या	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	320	260	180

80. यह नोट किया गया है कि जांच की अवधि के दौरान कर्मचारियों की संख्या और वेतन अधिकतम थे, किंतु उत्पादन में गिरावट की प्रतिक्रिया में 2020-21 के बाद प्रति कर्मचारी उत्पाकता में कमी आई है। घरेलू उद्योग ने इस कारण क्षति का दावा नहीं किया है।

च) वृद्धि

विवरण	यूनिट	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23
उत्पादकता	%	-	301%	-14%	-26%
घरेलू बिक्रियां	%	-	-61%	3319%	-13%
लाभ / हानि	%	-	-71%	-582%	-587%
नकद लाभ	%	-	-75%	-1872%	-228%
नियोजित पूंजी पर आय	%	-	5	18	-22

81. यह नोट किया गया है कि 2020-21 में घरेलू उद्योग का उत्पादन बढ़ा है, लेकिन इसके बाद इसने गिरावट दर्शायी है। 2021-22 में घरेलू बिक्रियों में भी वृद्धि हुई और तब जांच की अवधि में इसमें गिरावट आई। पूरी क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग घाटे में रहा है जो जांच की अवधि में उच्चतम थीं। इसलिए, घरेलू उद्योग ने सभी मापदंडों के संबंध में ह्रास का सामना किया है।

छ. पूंजी निवेश जुटाने की क्षमता पर प्रभाव

82. घरेलू उद्योग ने भारी हानियों को वहन किया है और ऋणात्मक आय का सामना कर रहा है। ईबीआईडीटीए ऋणात्मक है और केवल क्षति अवधि में इसमें ह्रास हुआ है। ऋणात्मक ईबीआईडीटीए दर्शाता है कि घरेलू उद्योग अपनी वर्तमान बाध्यताओं को पूरा करने लायक भी अर्जन नहीं कर रहा है और पूंजी निवेश को जुटाने की क्षमता पर ऋणात्मक प्रभाव पड़ा है।

ज. कीमतों को प्रभावित करने वाले कारक

83. यह नोट किया गया है कि जांच की अवधि के कारण घरेलू उद्योग एक लाभप्रद स्तर तक अपनी कीमतों में वृद्धि करने में समर्थ नहीं है। आयातों ने लागत से नीचे वस्तुओं की बिक्री करने के लिए घरेलू उद्याग को विवश किया है। इसके अतिरिक्त, निम्न कीमत वाले आयातों के परिणामस्वरूप बाजार हिस्से में भी कमी और क्षमता का कम उपयोग हुआ है जिसने अंततः आवेदक को अपने प्रचालनों को बंद करने के लिए विवश किया है। अतः, इस प्रकार, संबद्ध आयातों ने घरेलू उद्योग की कीमतों को प्रभावित किया है।

झ. पाटन की मात्रा

84. संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तुओं का महत्वपूर्ण पाटन हुआ है जिसने बाजार में उचित प्रतिस्पर्धा की स्थितियों को नष्ट कर दिया है।

छ.3.5 <u>क्षति का समग्र मूल्यांकन</u>

85. संबद्ध उत्पाद के आयातों और घरेलू उद्योग के निष्पादन की जांच स्पष्ट रूप से दर्शाती है कि:-

i. इस तथ्य के बावजूद कि घरेलू उद्योग संपूर्ण भारतीय मांग का लगभग 90 प्रतिशत पूरा करने की पर्याप्त क्षमता रखता है, आयातों का बाजार में एकाधिकार है।

ii. 2020-21 और 2021-22 में आयातों में कमी आई है, लेकिन उसके बाद इसमें 236 प्रतिशत की वृद्धि हुई और ये जांच की अवधि के दौरान उच्चतम थे।

iii. आयात घरेलू उद्योग के उत्पादन की तुलना में *** प्रतिशत उच्च थे और भारतीय बाजार का *** प्रतिशत होते हैं।

iv. संबद्ध देशों से आयात भारत में विचाराधीन उत्पाद के आयातों का 100 प्रतिशत ठहरते हैं।

v. संबद्ध आयात घरेलू उद्योग की कीमतों में कटौती कर रहे हैं। जांच की अवधि के दौरान कीमत कटौती सकारात्मक और महत्वपूर्ण थी।

vi आयातों ने घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत में वृद्धि को रोका है जो अन्यथा घटित हुई होती।

vii. जांच की अवधि के दौरान कच्चे माल की कीमतों में वृद्धि के बावजूद, निर्यातकों ने आयातों की पहुंच कीमत में वृद्धि नहीं की है।

viii. *** मी. टन की क्षमता के बावजूद, घरेलू उद्योग की नियोजित क्षमता केवल *** मी. टन थी।

ix. घरेलू उद्योग *** को अपना संयंत्र बंद करने के लिए विवश था और जांच की अवधि के दौरान इसे दुबारा आरंभ करने में अक्षम था।

x. मांग में घरेलू उद्योग का हिस्सा केवल *** प्रतिशत है और इसने घरेलू बाजार में अपने उत्पादन के केवल *** प्रतिशत की बिक्री की है।

xi. घरेलू उद्योग अपनी मालसूचियों का निपटान करने के लिए हानियों पर संबद्ध वस्तुओं का निर्यात करने के लिए विवश था। घरेलू उद्योग ने जांच की अवधि के दौरान अपने अधिकतम उत्पादन का निर्यात किया।

xii. घरेलू उद्योग की औसत मालसूची धारण अवधि जांच की अवधि के दौरान बहुत अधिक थी।

xiii. घरेलू उद्योग महत्वपूर्ण वित्तीय हानियों का सामना कर रहा है। घरेलू उद्योग ने नकद हानियों और जांच की अवधि के दौरान निवेश पर ऋणात्मक आय के साथ हानियों का सामना किया है।

xiv. आयातों ने और अधिक पूंजी निवेशों को जुटाने की घरेलू उद्योग की क्षमता को विपरीत रूप से प्रभावित किया है।

xv. पाटन मार्जिन सकारात्मक और महत्वपूर्ण है।

xvi. आयात घरेलू कीमतों की कीमतें को प्रभावित कर रहे हैं।

86. उपुर्यक्त को ध्यान में रखते हुए, प्राधिकारी अनंतिम रूप से निष्कर्ष देते हैं कि घरेलू उद्योग उल्लेखनीय क्षति का सामना कर रहा है।

छ.3.6 <u>गैर-आरोपण विश्लेषण और कारणात्मक संबंध</u>

87. घरेलू उद्योग की कीमतों पर क्षति की विद्यमानता, पाटित आयातों की मात्रा और कीमत प्रभावों की जांच करते हुए, प्राधिकारी ने जांच की है कि क्या घरेलू उद्योग को होने वाली क्षति पाटित आयातों के अलावा किसी अन्य कारक को आरोपित की जा सकती है, जो नियमावली के तहत सूचीबद्ध किए गए हैं।

क) तीसरे देशों से आयातों की मात्रा और मूल्य

88. यह नोट किया गया है कि किसी अन्य देश से कोई आयात नहीं किए गए हैं। इसलिए, क्षति को तीसरे देशों से आयातों पर आरोपित नहीं किया जा सकता है।

ख) मांग में संकुचन

89. प्राधिकारी नोट करते हैं कि 2020-21 में संबद्ध वस्तुओं की मांग में कमी आई थी, लेकिन 2021-22 में इनमें फिर से वृद्धि हुई थी। घरेलू उद्योग ने मांग में संकुचन के कारण क्षति का सामना नहीं किया है।

ग) खपत की पद्धति

90. यह नोट किया गया है कि विचाराधीन उत्पाद के खपत के पैटर्न में कोई उल्लेखनीय परिवर्तन नहीं हुआ है जो घरेलू उद्योग को क्षति का कारण बन सके।

घ) प्रतिस्पर्धा की स्थिति और व्यापार प्रतिबंधित पद्धतियां

91. प्राधिकारी नोट करते हैं कि प्रतिस्पर्धा अथवा व्यापार प्रतिबंधित पद्धतियों की स्थिति का कोई साक्ष्य उपस्थित नहीं है जो घरेलू उद्योग को क्षति का दावा करने के लिए उत्तरदायी हो।

ड.) प्रौद्योगिकी में परिवर्तन

92. प्राधिकारी नोट करते हैं कि संबद्ध वस्तुओं के उत्पादन के लिए प्रौद्योगिकी में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है जो घरेलू उद्योग के लिए क्षति उत्पन्न कर सके, क्योंकि इसने संबद्ध वस्तुओं के उत्पादन के लिए नया संयंत्र स्थापित किया है।

च) उत्पादकता

93. प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग की उत्पादकता में क्षति अवधि में वृद्धि हुई है। इसलिए, घरेलू उद्योग ने इस कारण क्षति का सामना नहीं किया है।

छ) घरेलू उद्योग का निर्यात निष्पादन

94. यहां ऊपर जांच की गई क्षति संबंधी सूचना इसके घरेलू बाजार के संदर्भ में केवल घरेलू उद्योग के निष्पादन से संबंधित है। इसलिए, वहन की गई क्षति को केवल घरेलू उद्योग के निर्यात निष्पादन के कारण हुआ नहीं माना जा सकता।

ज) अन्य उत्पादों का निष्पादन

95. प्राधिकारी ने केवल संबद्ध वस्तुओं के निष्पादन से संबंधित आंकड़ों पर विचार किया है। इसलिए, उत्पाद किए गए और बेचे गए अन्य उत्पादों का निष्पादन घरेलू उद्योग को क्षति का संभव कारण नहीं हो सकता है।

छ.3.7 <u>कारणात्मक संबंध पर निष्कर्ष</u>

96. जहां नियमों के तहत सूचीबद्ध अन्य ज्ञात कारकों ने घरेलू उद्योग को क्षति नहीं पहुंचाई है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि निम्नलिखित मापदंड दर्शाते हैं कि घरेलू उद्योग को क्षति पाटित आयातों के कारण हुई है:-

i. संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तुओं का पाटन हुआ है।

ii. आयात की मात्रा जांच की अवधि में उच्चतम थी। पिछले दो वर्षों में आयातों में गिरावट केवल कोविड के कारण मांग में आई कमी के कारण थी।

iii. घरेलू उद्योग की खपत और उत्पादन के संबंध में आयातों की मात्रा में भी वृद्धि हुई है और भारतीय उत्पादन के संबंध में यह *** प्रतिशत है।

iv. आयातों ने बाजार का *** प्रतिशत नियंत्रित कर रखा है, जो घरेलू उद्योग को बाजार में हिस्सा प्राप्त करने से रोकता है।

v. संबद्ध आयात घरेलू उद्योग की कीमतों में महत्वपूर्ण कटौती कर रहे हैं।

vi सस्ती कीमतों ने घरेलू उद्योग की कीमतों पर दबाव सृजित किया है जो कीमतों में ऐसी वृद्धि को रोकता है जो अन्यथा घटित हुई होती ।

vii. हालांकि जब कि जांच की अवधि में कच्चे माल की कीमत में वृद्धि हुई है, आयातों की कीमतें नहीं बढ़ीं।

viii. घरेलू उद्योग के पास अत्यधिक कम उपयोग की गई क्षमताएं मौजूद हैं, उसकी स्थापित क्षमताओं का केवल *** प्रतिशत है।

ix. निम्न स्तरों पर उत्पादन करने के बाद भी, इस पर इसके उत्पादन का निपटान करने के लिए निर्यातों पर भरोसा करने के लिए दबाव था। निर्यात उत्पादन के *** प्रतिशत के समकक्ष है।

x. घरेलू बिक्रियां निम्न हैं और घरेलू उद्योग केवल *** प्रतिशत बाजार हिस्सा धारित करता है।

xi. घरेलू उद्योग अपनी हानियों में कमी करने और अत्यधिक मालसूची के एकत्र होने से बचने के लिए अपने प्रचालनों को बदं करने के लिए विवश था।

xii. घरेलू उद्योग ने 2021-22 के अतिरिक्त, जब पहुंच कीमत में वृद्धि हुई थी, पूरी क्षति अवधि के दौरान हानियां और नकद हानियां वहन की हैं। जांच की अवधि में निवेश पर आय भी ऋणात्मक थी।

97. अत:, प्राधकारी अनंतिम रूप से निष्कर्ष देते हैं कि संबद्ध वस्तुओं के पाटन और घरेलू उद्योग को क्षति के बीच एक कारणात्मक संबंध विद्यमान है।

ज. <u>भारतीय उद्योग का हित और अन्य मुद्दे</u>

ज.1 <u>अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध</u>

98. अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने भारतीय उद्योग के हित के संबंध में कोई अनुरोध नहीं किए हैं।

ज.2 <u>घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध</u>

99. घरेलू उद्योग ने भारतीय उद्योग के हित के संबंध में निम्नलिखित अनुरोध किए हैं:

i. देश में संबद्ध वस्तुओं के लिए कोई मांग - आपूर्ति अंतर मौजूद नहीं है।

ii. घरेलू उद्योग के पास पूर्ण भारतीय मांग को पूरा करने की क्षमता है और मांग बढ़ने की स्थिति में, इसके पास अपनी क्षमता को *** मी. टन तक बढ़ाने की आधारभूत संरचना है।

iii. भारतीय उद्योग ने संबद्ध वस्तुओं के लिए संयंत्र स्थापित करने और भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए लगभग *** करोड़ रूपए निवेश किए हैं।

iv. यदि वर्तमान स्थिति जारी रहती है, तो घरेलू उद्योग के पास अपने प्रचालनों को स्थायी रूप से बंद करने के अतिरिक्त और कोई विकल्प नहीं होगा और भारत एक बार फिर आयात पर निर्भर हो जाएगा।

v. बढ़ते हुए व्यापार घाटे को देखते हुए, घरेलू उत्पादन क्षमताओं पर भरोसा करना महत्वपूर्ण है। शुल्कों को लागू किये जाने से देश से बाहर जाने वाली विदेशी मुद्रा अनुकूल भुगतान संतुलन खाते के संरक्षण की अनुमति मिलेगी।

vi टीसीसीए डाउनस्ट्रीम उद्योग के लिए प्रमुख इनपुट या कच्चा माल नहीं है और परिणामस्वरूप यह इसके लिए मुख्य लागत भी नहीं है।

vii. डाउनस्ट्रीम उद्योग द्वारा उत्पाद की लागत में वृद्धि को वहन करने की संभावना है, क्योंकि यह इसकी लागत का छोटा-सा भाग है।

viii. टीसीसीए पर पाटनरोधी शुल्क को लागू किए जाने का प्रभाव लगभग 0.0008 प्रतिशत है।

ix. दूधिया केम टेक्स प्रा० लि०, मुंबई की टीसीसीए के लिए एक संयंत्र स्थापित करने की योजना है जो सुनिश्चित करेगा कि भारत में कोई एकाधिकार स्थिति नहीं है और प्रयोक्ताओं के पास घरेलू बाजार में भी पर्याप्त स्रोत होंगे।

x. विचाराधीन उत्पाद का विनिर्माण करने की प्रौद्योगिकी यूएसए और स्पेन में उपलब्ध है और हाल ही में बांग्लादेश में उत्पादन के लिए एक संयंत्र स्थापित किया गया है। विचाराधीन उत्पाद को अन्य स्रोतों से भी उचित कीमतों पर आयात किया जा सकता है।

ज.3 <u>प्राधिकारी द्वारा जांच</u>

100. प्राधिकारी नोट करते हैं कि पाटनरोधी शुल्कों का प्राथमिक उद्देश्य पाटन की गलत व्यापार पद्धतियों द्वारा घरेलू उद्योग पर थोपी गई क्षति को सुधारना है जिसके द्वारा भारतीय बाजार में एक खुली और न्यायसंगत प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना है। यह केवल एक विनियामक उपाय नहीं है बल्कि एक राष्ट्रीय हित का मामला है। पाटनरोधी उपायों को लागू किया जाना मनमाने ढंग से संबद्ध देशों से आयातों में कटौती करने के लिए डिजाइन नहीं किया गया है। बल्कि, यह समान स्तर पर कार्य करने को सुनिश्चित करने के लिए एक तंत्र है। प्राधिकारी मानते हैं कि पाटनरोधी शुल्कों की दृढ़ता भारत में उत्पाद के कीमत स्तरों को प्रभावित कर सकती है। तथापि, यह नोट करना महत्वपूर्ण है कि इन उपायों के जारी रहने के द्वारा भारतीय बाजार में उचित प्रतिस्पर्धा की स्थिति अहानिकर बनी रहेगी। ह्रासमान प्रतिस्पर्धा से परे, पाटनरोधी उपायों को लागू किया जाना पाटन पद्धतियों के जरिए अनुचित लाभों को प्रोद्भूत होने से रोकने के उद्देश्य को पूरा करता है। यह संबद्ध वस्तुओं के वृहत चयन तक ग्राहकों की पहुंच का रक्षोपाय करता है। इस प्रकार पाटनरोधी शुल्क उचित व्यापार पद्धतियों के लिए बाधा नहीं बल्कि सुविधा प्रदान करने वाला है।

101. प्राधिकारी ने आयातकों, प्रयोक्ताओं और उपभोक्ताओं सहित सभी हितबद्ध पक्षकारों से उनके मतों को आमंत्रित करते हुए जांच शुरूआत अधिसूचना जारी की। घरेलू उद्योग, उत्पादकों / निर्यातकों और आयातकों / प्रयोक्ताओं / उपभोक्ताओं सहित विभिन्न स्टेकधारकों को उनके प्रचालनों पर पाटनरोधी शुल्क के संभावित प्रभाव सहित वर्तमान जांच के संबंध में संगत सूचना उपलब्ध कराने के लिए अनुमति प्रदान करने हेतु एक आर्थिक हित प्रश्नावली भी निर्धारित की गई।

102. प्राधिकारी नोट करते हैं कि संबद्ध वस्तुओं का कोई भी प्रयोक्ता प्राधिकारी के समक्ष भाग लेने के लिए आगे नहीं आया है न ही आर्थिक हित प्रश्नावली का उत्तर दिया गया है। इसके अलावा, किसी भी पक्षकार ने प्रवृत्त शुल्कों के विपरीत प्रभाव की ओर संकेत करने के लिए कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है। साक्ष्यों की इस कमी और स्टेकधारकों की चुप्पी ने प्राधिकारी की स्थिति को रेखांकित किया है और उचित व्यापार पद्धतियों को सुनिश्चित करने के लिए पाटनरोधी उपायों की जरूरत को सुदृढ़ किया है।

103. प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग द्वारा संयंत्र की स्थापना किए जाने से पूर्व भारत पूरी तरह से आयात पर निर्भर था। घरेलू उद्योग ने संबद्ध वस्तुओं का विनिर्माण करने और भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए संयंत्र में भारी निवेश किया है। घरेलू उद्योग के अनुसार, यदि संबद्ध देशों से पाटन जारी रहा तो घरेलू उद्योग के पास अपने प्रचालनों को स्थायी रूप से बंद करने के अतिरिक्त और कोई विकल्प नहीं होगा।

104. घरेलू उद्योग ने इस बात पर प्रकाश डाला है कि तैयार उत्पाद पर शुल्कों के निम्न प्रभाव के कारण शुल्कों का प्रयोक्ताओं पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ेगा। घरेलू उद्योग ने नीचे दी गई तालिका में अंतिम उपभोक्ताओं पर उपायों के प्रभाव को प्रस्तुत किया है। यह नोट किया गया है कि शुल्कों का प्रभाव बहुत मामूली-सा है। इसके अतिरिक्त, घरेलू उद्योग ने कहा है कि क्योंकि संबद्ध वस्तुओं का प्रयोग पानी को साफ करने के लिए सिर्फ एक निस्संक्रामक के रूप में प्रयोग किया जाता है, यह इसके लिए कोई बड़ी लागत भी नहीं है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि टीसीसीए का प्रयोग एक निस्संक्रामक के रूप में और पानी के उपचार के लिए किया जाता है। इस प्रकार, यह डाउनस्ट्रीम उद्योग के लिए एक मुख्य इनपुट या कच्चा माल नहीं है।

विवरण	**यूनिट**	**मूल्य**
गुजरात में पानी की दरें	रू./ 1000 लीटर	56.59
गुजरात में पानी की दरें	रू./ लीटर	0.057
टीसीसीए खपत - 1,00,000 लीटर	ग्राम	300
टीसीसीए दर	रू./ मी. टन	1,64,996
टीसीसीए दर	रू./ ग्राम	0.16
पानी की लागत + टीसीसीए - 1,00,000	ग्राम	49,55,538

लीटर		
प्रस्तावित एडीडी	रू./ मी. टन	***
एडीडी	रू./ ग्राम	***
टीसीसीए की लागत - एडीडी		***
तैयार उत्पाद पर प्रतिशतांक प्रभाव		0.0008%

105. प्राधिकारी आगे नोट करते हैं कि पाटनरोधी शुल्क को लागू किए जाने के कारण भारत में संबद्ध वस्तुओं की कमी नहीं होगी। यह नोट किया गया है कि पाटनरोधी शुल्क आयातों को प्रतिबंधित नहीं करते, बल्कि यह सुनिश्चित करते हैं कि आयात उचित कीमतों पर उपलब्ध हों। इसलिए, शुल्क को लागू किया जाना उत्पाद की उपलब्धता को प्रभावित नहीं करेगा। किसी भी स्थिति में, इस समय वर्तमान क्षमता के अतिरिक्त, घरेलू उद्योग के पास पहले से ही *** मी. टन की एक अतिरिक्त क्षमता को स्थापित करने के लिए मशीनरी और आधारभूत संरचना मौजूद है। इसलिए, घरेलू उद्योग की क्षमता भारत में मांग से अधिक है जिससे यह सुनिश्चित होता है कि देश में पर्याप्त आपूर्ति बनी हुई है। इसके अतिरिक्त घरेलू उद्योग ने यह कहा है कि यदि भारतीय मांग में वृद्धि होती हे तो इसके पास अपनी क्षमता को बढ़ाने के लिए आधारभूत संरचना मौजूद है।

106. इसके अलावा, प्राधिकारी नोट करते हैं कि हालांकि, संबद्ध आयात देश में आयातों का 100 प्रतिशत स्थापित करते हैं, उत्पाद का विनिर्माण करने से संबंधित प्रौद्योगिकी यूएसए और स्पेन में भी उपलब्ध हैं। इसके अतिरिक्त, घरेलू उद्योग ने दावा किया है कि इस उत्पाद का उत्पादन करने के लिए एक संयंत्र अभी हाल ही में बांग्लादेश में स्थापित किया गया है। इसलिए, शुल्कों को लागू किए जाने की स्थिति में माल को बांग्लादेश, यूएसए और स्पेन से आयात किया जा सकता है। इसके अलावा, घरेलू उद्योग ने अनुरोध किया है कि दूधिया केम प्रा० लि० संबद्ध वस्तुओं के उत्पादन के लिए एक संयंत्र स्थापित करने की योजना बना रहा है। यह भारतीय बाजार में स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को सुनिश्चित करेगा।

झ. <u>क्षति मार्जिन की मात्रा</u>

107. प्राधिकारी ने यथा संशोधित अनुबंध-III के साथ पठित नियमावली में निर्धारित सिद्धांतों के आधार पर घरेलू उद्योग के लिए क्षतिरहित कीमत निर्धारित की है। विचाराधीन उत्पाद की क्षतिरहित कीमत को जांच की अवधि के लिए उत्पादन की लागत से संबंधित सत्यापित सूचना / आंकड़े को अपनाने के द्वारा निर्धारित किया गया है। क्षतिरहित कीमत पर क्षति मार्जिन की संगणना के लिए संबद्ध देश से पहुंच कीमत की तुलना करने पर विचार किया गया है। क्षतिरहित कीमत के निर्धारण के लिए क्षति अवधि में घरेलू उद्योग द्वारा कच्चे माल के सर्वोत्तम उपयोग पर विचार किया गया है। युटीलिटीज के साथ भी समान उपचार किया गया है। क्षति अवधि में उत्पादन क्षमता के सर्वोत्तम उपयोग पर विचार किया गया है। यह सुनिश्चित किया गया है कि उत्पादन की लागत पर कोई असाधारण या गैर-आवर्ती व्ययों को प्रभारित नहीं किया गया है। क्षतिरहित कीमत पर पहुंचने के लिए पूर्व लाभ के रूप में विचाराधीन उत्पाद के लिए नियोजित औसत पूंजी (अर्थात् औसत निवल निर्धारित परिसंपत्तियां औसत कार्यशील पूंजी सहित) पर एक उचित आय (कर पूर्व @ 22 प्रतिशत) को अनुमति प्रदान की गई थी जैसाकि नियमावली के अनुबंध-III में निर्धारित किया गया है और अनुसरण किया जा रहा है।

108. निर्यातकों द्वारा उपलबध कराए गए आंकड़ों के आधार पर सहयोगी निर्यातकों के लिए पहुंच कीमत को निर्धारित किया गया है। संबद्ध देशों से असहयोगी उत्पादकों / निर्यातकों के लिए प्राधिकारी ने उपलब्ध तथ्यों के आधार पर पहुंच कीमतों को निर्धारित किया है।

109. उपरोक्त अनुसार निर्धारित की गई पहुंच कीमत और क्षतिरहित कीमत के आधार पर उत्पादकों / निर्यातकों के लिए क्षति मार्जिन को प्राधिकारी द्वारा निर्धारित किया गया है और इसे नीचे तालिका में उपलब्ध कराया गया है:-

उत्पादक	एनआईपी (यूएस डॉलर/मी.टन)	पहुंच कीमत (यूएस डॉलर/मी.टन)	क्षति मार्जिन (यूएस डॉलर/मी.टन)	क्षति मार्जिन (%)	क्षति मार्जिन (रेंज)
चीन					

शेडोंग गोल्डनस्टार वाटर इनवायरमेंट टेक्नोलॉजी कंपनी लिमिटेड	***	***	***	***	30-40
पुयांगक्लीनवे केमिकल्स लिमिटेड	***	***	***	***	30-40
शेडोंग डेमिंग साइंस एंड टेक्नोलॉजी कं, लिमिटेड	***	***	***	***	30-40
शेडोंग लैंटियन डिस्इन्फेक्शन टेक्नोलॉजी कंपनी	***	***	***	***	40-50
अन्य सभी	***	***	***	***	50-60
जापान					
कोई भी	***	***	***	***	5-15

ञ. <u>निष्कर्ष और सिफारिशें</u>

110. हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोधों और उनमें उठाए गए मुद्दों की जांच करते हुए और रिकार्ड पर उपलबध तथ्यों पर विचार करते हुए, प्राधिकारी ने अनंतिम रूप से निष्कर्ष दिया कि:-

i. बोडाल केमिकल्स लि० द्वारा चीन जन. गण. और जापान से ट्राईक्लोरो आइसोसायन्यूरिक के आयातों के विरुद्ध पाटरोधी जांच की शुरूआत के लिए आवेदन दायर किया गया है। आवेदक संबद्ध वस्तुओं का एकमात्र उत्पादक है और वर्तमान जांच के प्रयोजनार्थ घरेलू उद्योग ठहरता है।

ii. विचाराधीन उत्पाद ट्राइक्लोरो आइसोसायन्यूरिक एसिड है जिसे टीसीसीए के रूप में भी जाना जाता है जो एक निस्संक्रामक, ब्लीचिंग एजेंट और जल उपचार रसायन के रूप में सामान्य रूप से प्रयोग किया जाने वाला एक केमिकल कंपाउंड है।

iii. विचाराधीन उत्पाद के दायरे में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है जैसा कि जांच शुरूआत अधिसूचना में परिभाषित किया गया है और संबद्ध जांच में पीसीएन पद्धति की कोई जरूरत नहीं है।

iv. चूंकि चीन जन. गण. से किसी उत्पादक ने बाजार अर्थव्यवस्था उपचार के लिए अनुरोध दायर नहीं किया है। चीन जन. गण. को गैर-बाजार अर्थव्यवस्था के रूप में माना गया है और सामान्य मूल्य को भारत में अदायगी योग्य कीमत के आधार पर निर्धारित किया गया है जो घरेलू उद्योग के उत्पादन की लागत पर आधारित है।

v. निर्धारित सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत पर विचार करते हुए चीन और जापान से संबद्ध वस्तुओं के लिए पाटन मार्जिन सकारात्मक है।

vi 2020-21 में संबद्ध वस्तुओं की मांग में गिरावट आई किंतु उसके बाद इसमें क्रमश: वृद्धि हुई।

vii. संबद्ध देशों से आयात देश में आयातों की संपूर्णता को स्थापित करते हैं और जांच की अवधि में ये उच्चतम थे।

viii. संबद्ध आयात घरेलू उद्योग की कीमतों में कटौती कर रहे थे।

ix. आयातों की पहुंच मूल्य बिक्री कीमत एवं घरेलू उद्योग की लागत से निम्न था।

x. जांच की अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की बिक्रियों की लागत में वृद्धि हुई, किंतु आयातों की कीमतों में कमी हुई है।

xi. आयातों ने कीमतों में वृद्धि को रोका है, जो अन्यथा घटित हुई होती। इस प्रकार, आयातों ने घरेलू उद्योग की कीमतों में ह्रास किया है।

xii. जहां तक, घरेलू उद्योग के आर्थिक मापंदडों पर ऐसे आयातों के प्रभाव का संबंध है, निम्नलिखित निष्कर्षों पर पहुंचा गया था:-

क. घरेलू उद्योग पर, लगातार पाटन के कारण इसके प्रचालनों को बंद करने का दबाव था।

ख. घरेलू उद्योग ने पूरी क्षति अवधि के दौरान कम उपयोग की गई क्षमताओं का सामना किया है और घरेलू बाजार में अपने उत्पादन के बहुत थोड़े से हिस्से की बिक्री की है।

ग. पूरी क्षति अवधि के दौरान आयातों का बाजार हिस्से पर एकाधिकार रहा है।

घ. घरेलू उद्योग की औसत मालसूचियों में 2021-22 तक लगातार वृद्धि हुई है और केवल जांच की अवधि के दौरान इसमें कमी आई है।

ड. घरेलू उद्योग ने हानियों, नकद हानियों और ऋणात्मक आय का सामना किया है।

च. घरेलू उद्योग पर मालसूची के संचय को रोकने के लिए संबद्ध वस्तुओं का निर्यात करने का दबाव था।

xiii. घरेलू उद्योग ने संबद्ध देशों से पाटित वस्तुओं के परिणामस्वरूप क्षति का सामना किया है। क्षति मार्जिन महत्वपूर्ण है।

xiv. घरेलू उद्योग को क्षति पहुंचाने वाला कोई अन्य कारक प्रकट नहीं हुआ है। यह नोट किया गया है कि पाटित आयातों के परिणामस्वरूप घरेलू उद्योग ने उल्लेखनीय क्षति का सामना किया है।

xv. पाटनरोधी शुल्क जनता के हित में है। यह निम्नलिखित से प्रमाणित है:-

क. घरेलू उद्योग ने संबद्ध वस्तुओं का विनिर्माण करने के लिए और भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए संयंत्र में महत्वपूर्ण निवेश किए हैं।

ख. डाउनस्ट्रीम उद्योग पर शुल्कों का प्रभाव 0.001 प्रतिशत से कम है और न्यूनतम है। इसके अलावा, संबद्ध वस्तुएं डाउनस्ट्रीम उद्योग के लिए प्रमुख लागत नहीं हैं।

ग. शुल्क का अधिरोपण, इसलिए, उत्पाद की उपलब्धता को प्रभावित नहीं करेगा। घरेलू उद्योग के पास लगभग पूर्ण भारतीय मांग को पूरा करने की क्षमता है और भारतीय मांग में वृद्धि होने की स्थिति में, इसके पास क्षमता में वृद्धि करने के लिए आधारभूत संरचना मौजूद हैं।

घ. वस्तुओं को यूएसए, स्पेन और बांग्लादेश सहित अन्य स्रोतों से भी आयातित किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त, घरेलू उद्योग के अनुसार,

दूधिया केम टेक्स प्रा० लि० की संबद्ध वस्तुओं के उत्पादन के लिए एक संयंत्र स्थापित करने की योजना है।

111. प्राधिकारी नोट करते हैं कि जांच की शुरूआत की गई थी ओर सभी हितबद्ध पक्षकारों को सूचित किया गया था तथा घरेलू उद्योग, निर्यातकों और अन्य हितबद्ध पक्षकारों को पाटन, क्षति और कारणात्मक संबंध के पहलुओं पर सकारात्मक सूचना उपलब्ध कराने के लिए पर्याप्त अवसर प्रदान किया गया था। पाटनरोधी नियमावली के तहत निर्धारित किए गए प्रावधानों के संदर्भ में पाटन, क्षति और कारणात्मक संबंध में जांच की शुरूआत करने और उसे आयोजित करते हुए, प्राधिकारी का विचार है कि जांच को पूरा करने को लंबित रखते हुए पाटन और क्षति को पूरा करने के लिए अनंतिम शुल्क को लागू किए जाने की जरूरत है। इसलिए, प्राधिकारी संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तुओं के आयातों पर अनंतिम पाटनरोधी शुल्क को लागू किया जाना जरूरी समझते हैं और इसकी सिफारिश करते हैं।

112. प्राधिकारी द्वारा अनुसरित कमतर शुल्क नियम के संबंध में, प्राधिकारी पाटन मार्जिन और क्षति मार्जिन में से कमतर के समकक्ष अनंतिम पाटनरोधी शुल्क को लागू किए जाने की सिफारिश करते हैं ताकि घरेलू उद्योग को होने वाली क्षति को दूर किया जा सके। तदनुसार, प्राधिकारी नीचे संलग्न शुल्क तालिका के कॉलम 7 में उल्लिखित राशि के समकक्ष, केंद्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में जारी की जाने वाली अधिसूचना की तारीख से संबद्ध देशों के मूल की अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तुओं के आयातों पर अनंतिम पाटनरोधी शुल्क को लागू करने की सिफारिश करते हैं।

शुल्क तालिका

क्र.सं.	शीर्ष	विवरण	मूलता का देश	निर्यात का देश	उत्पादक	राशि	यूनिट	मुद्रा
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	29336990 29336910	ट्राइक्लोरो आइसोसायन्यूरिक एसिड	चीन जन. गण.	चीन जन. गण.	शेडोंग गोल्डनस्टार वाटर इनवायरमेंट टेक्नोलॉजी कंपनी लिमिटेड	650	मी. ट.	अम.डॉ.
2	-वही-	-वही-	चीन जन.	चीन जन.	पुयांगक्लीनवे	657	मी. ट.	अम.डॉ.

			गण.	गण.	केमिकल्स लिमिटेड			
3	-वही-	-वही-	चीन जन. गण.	चीन जन. गण.	शेडोंग डेमिंग साइंस एंड टेक्नोलॉजी कं. लिमिटेड	666	मी. ट.	अम.डॉ.
4	-वही-	-वही-	चीन जन. गण.	चीन जन. गण.	शेडोंग लैंटियन डिस्इन्फेक्शन टेक्नोलॉजी कंपनी लिमिटेड	791	मी. ट.	अम.डॉ.
5	-वही-	-वही-	चीन जन. गण.	चीन जन. गण. सहित सभी देश	क्रम संख्या 1 से 6 में उल्लिखित उत्पादकों के अलावा कोई उत्पादक	870	मी. ट.	अम.डॉ.
6	-वही-	-वही-	चीन जन. गण. और जापान के अतिरिक्त सभी देश	चीन जन. गण.	कोई भी	870	मी. ट.	अम.डॉ.
7	-वही-	-वही-	जापान	जापान सहित सभी देश	कोई भी	170	मी. ट.	अम.डॉ.
8	-वही-	-वही-	चीन जन. गण. और जापान के अतिरिक्त सभी देश	जापान	कोई भी	170	मी. ट.	अम.डॉ.

ट. **<u>आगे की प्रक्रिया</u>**

113. प्रारंभिक जांच परिणामों को अधिसूचित करने के बाद, नीचे उल्लिखित प्रक्रिया का बाद में पालन किया जाएगा:-

i. प्राधिकारी सभी हितबद्ध पक्षकारों से इन निष्कर्षों के प्रकाशन से 30 दिनों के भीतर इन अनंतिम निष्कर्षों पर टिप्पणियां आमंत्रित करते हैं और प्राधिकारी द्वारा प्रासंगिक समझी जाने वाली सीमा तक इन पर अंतिम जांच परिणामों में विचार किया जाएगा।

ii. प्राधिकारी संबद्ध जांच के संगत अपने मतों को प्रस्तुत करने के लिए हितबद्ध पक्षकारों को एक अवसर प्रदान करने के लिए नियम 6(6) के संदर्भ में एक मौखिक सुनवाई आयोजित करेंगे।

iii. मौखिक सुनवाई की तारीख डीजीटीआर वेबसाइट (dgtr.gov.in) पर प्रकाशित की जाएगी।

iv. प्राधिकारी अनिवार्य समझी जाने वाली सीमा तक आगे का सत्यापन करेंगे।

v. प्राधिकारी अपने अंतिम जांच परिणामों को प्रस्तुत करने से पहले पाटनरोधी नियमों के अनुसार अनिवार्य तथ्यों का प्रकटन करेंगे।

(अनन्त स्वरूप)
निर्दिष्ट प्राधिकारी